आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

नवम्बर 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

स्वच्छ भारत : अभियान नहीं आदत बने

जिसको ईश्वर हिदायत देने का फ़ैसला करता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। (मिश्कात)

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

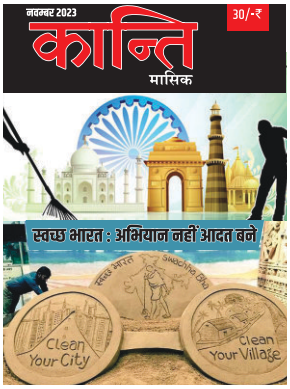
चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस,
2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान,
दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 05 नवम्बर 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
मध्य-पूर्व का अर्धसत्य
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
अंतिम सत्य
संपादन प्रभाग

सौंदर्य बोध 11
व्यक्तित्व का दर्पण
तबाना नूरी

मुख्य स्तंभ 15
स्वच्छ भारत : अभियान नहीं आदत बने
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 18
सवालों के घेरे में स्वच्छ भारत अभियान
केसी त्यागी

समाधान 21
स्वच्छता की महानता
नसीम ग़ाज़ी फ़लाही

कविता 25
ऊंचाई
अटल बिहारी वाजपेयी

मंथन 26
गरिमा गिराने वाली भाषा
डॉ. प्रदीप कुमार

समसामयिक 29
युद्ध का विकल्प
नईम अलहिन्दी

सरोकार 32
स्वस्थ भारत का सपना
जितेंद्र गौतम

प्रकाश स्तंभ 35
सत्यम् कि म् प्रमाणम्!
संपादन प्रभाग

इबारत 37
इब्ने सीना : एक ज्ञान पुंज
संपादन प्रभाग

सेहत 39
थकावट का कारण हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं ?
संपादन प्रभाग

करियर 41
कॉपी एडिटिंग में संवारे भविष्य
संपादन प्रभाग

कहानी 45
अपना-अपना भाग्य
जैनेन्द्र कुमार

आख़िरी पन्ना 49
द्वितीय नास्तेः नहे ना नास्ते किंचन
संपादन प्रभाग

मूल प्रश्न



मध्य-पूर्व का अर्धसत्य

शिब्ली अरसलान

क्या ग़ज़ा नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा? क्या एक स्वतंत्र संप्रभु फ़िलिस्तीनी राज्य की माँग हमेशा के लिए दम तोड़ देगी ? क्या यूं दिन-दहाड़े फ़िलिस्तीनी अपने जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर दिये जाएंगे और ये सभ्य दुनिया मूकदर्शक बनी रहेगी? क्या इस आधुनिक, उदार, तार्किक और लोकतांत्रिक दुनिया में 'जिसकी लाठी, उसकी भैंस' का नियम ही सार्वभौमिक सत्य क़रार पाएगा ?

ये वो प्रश्न हैं जो ज़ेहन व दिल को विचलित करते हैं। इस कॉलम के लिखने तक इस्राईल, 40 किलोमीटर लंबे और बेहद संकरे ग़ज़्ज़ा पट्टी पर कई टन बम और मिज़ाइल गिरा चुका है, ग़ज़्ज़ा के कई हिस्से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ग़ज़्ज़ा में हालात बेहद दयनीय हैं, अस्पतालों में इतनी हालत ख़राब है कि ज़ख़्मियों को ज़मीन पर लिटाया गया है।

इस्राईल ने ग़ज़्ज़ा पर जिस जुनूनी और बर्बर अंदाज़ में बमबारी की है उसके नतीजे में 1200 से अधिक फ़िलिस्तीनियों की जानें गई हैं, जबकि हज़ारों घायल हुए हैं। दवा-पानी-बिजली जैसी ज़िंदगी की बेहद बुनियादी ज़रूरत पर भी पहरे हैं। लाखों फ़िलिस्तीनियों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। ये सब पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा पिछले दशक में कई बार हो चुका है। अपनी ज़मीन और अपने ज़मीर के सौदे के ख़िलाफ़ कृतसंकल्प ये फ़िलिस्तीनी न जाने किस मिट्टी से बने हैं कि कुछ ही महीनों और साल में दोबारा उठ खड़े होते हैं।

इस बार हमास के 'अचानक हमले' का सहारा लेकर ज़ायोनिस्ट इस्राईल 'विक्टिम कार्ड' खेल रहा और दुनिया को गुमराह करने के मिशन पर लगा हुआ है। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्र अपनी वही पुरानी रट लगाए हुए हैं कि वह इस्राईल का समर्थक था और रहेगा। फ़िलिस्तीनियों के पुराने मित्र भारत, हमास के 'अचानक हमले' से इतना दुःखी है कि उसने इज़राइल के पक्ष में खड़े होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि गांधी जी की प्रसिद्ध उक्ति आरंभ से ही हमारी पुरानी नीति की आधार रही है। गांधी जी ने कहा था–'फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रेंच लोगों का है' और जिसे बड़ी स्पष्टता से पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने कहा था–'अरबों की जिस ज़मीन पर इज़राइल क़ब्ज़ा करके बैठा है, उसे वो ख़ाली करना होगा।'

इज़राईल बरसों और दशकों से फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार ढा रहा है। ग़ज़्ज़ा की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सामान्य है। वह हर वर्ष ग़ज़्ज़ा में घुसकर बमबारी करता रहा है, स्कूलों और हॉस्पिटल्स तक को निशाना बनाता रहा है। ग़ज़्ज़ा के मासूमों की चीखों से हमारी संवेदनाएं अब शून्य हो गयी हैं। ग़ज़्ज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में परिवर्तित कर दिया गया है, मानव अधिकार के सारे अंतर्राष्ट्रीय क़ानून और कंवेंशन्स की धज्जियां उड़ती रहीं हैं...मगर जब पीड़ित फ़िलिस्तीनियों ने ख़ुद को संगठित करके जवाब देने की कोशिश की तो ये 'सभ्य और शान्तिप्रिय दुनिया' इसे आतंकी कार्रवाई और 'अचानक हमला' कहती है और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्षरत एक जमाअत को 'आतंकी समूह' कहा जा रहा...दुनिया! तेरी 'सभ्यता' पर तरस आ रहा...

विभिन्न कारणों से पड़ोसी अरब राष्ट्र इतने दब्बू और शक्तिहीन हैं कि वे अब केवल प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। जानने वाले जानते हैं कि ओआईसी और अरब लीग की बैठकें अरब जनता के दबाव में होती हैं।

हमास के 'अचानक हमले' पर कुछ खुले ज़ेहन के लोग भी ज़ियोनिस्ट प्रोपेगंडे से भ्रमित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की बहसों में कई बुद्धिजीवी ये तर्क देते हुए नज़र आ जाते हैं कि वर्षों से जब सब कुछ 'शांतिपूर्ण' गुज़र रहा था, दुनिया को लग रहा था कि 'अब माहौल में बेहतरी आ सकती है' तभी अचानक 5000 से अधिक मिसाइल इसराइल के ऊपर क्यों दाग़े गए? इसके अलावा जल मार्ग से हमले किए गए। कंक्रीट के

मोटी-मोटी रुकावटों को ध्वस्त कर हमास के लड़ाकों ने रास्ता बनाया, इस तरह जंग फ़िलिस्तीनियों ने शुरू की।

हालांकि फ़िलिस्तीनियों को दुनिया से यही शिकवा है कि दुनिया ज़ायोनिस्ट प्रोपेगंडा तंत्र की ऐनक से देखती है, फ़िलिस्तीन का मुद्दा दुनिया भूलती जा रही है। इज़राईल और पड़ोसी अरब राज्यों के मध्य होने वाले हालिया 'अब्राहम एकॉर्ड' से फ़िलिस्तीनी मायूसी के शिकार थे। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमास की आक्रामकता की वर्तमान स्थिति फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ अति-दक्षिणपंथी नेतन्याहू सरकार द्वारा फैलाई गई ज़ायोनी आक्रामकता का परिणाम है, जिसने ख़ामोशी से बीते वर्षों में बच्चों सहित सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, फ़िलिस्तीनी महिलाओं का अपमान कर उन्हें बंदी बनाया।

सारे समझौतों को दरकिनार करते हुए नई इज़राईली बस्ती बनाने का काम भी जारी है। अल-क़स्साम ब्रिगेड का वर्तमान 'अल-अक़्सा तूफ़ान' वास्तव में हमास की दुनिया से बढ़ती मायूसी का परिणाम है।

दुनिया' इसे आतंकी कार्रवाई और 'अचानक हमला' कहती है और फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए संघर्षरत एक जमाअत को 'आतंकी समूह' कहा जा रहा...दुनिया! तेरी 'सभ्यता' पर तरस आ रहा...

हिन्दी-अंग्रेज़ी चैनल्स और पोर्टल्स, हमास और ग़ज़्ज़ा का अर्धसत्य पर आधारित इतिहास-भूगोल तो ख़ूब बता रहे हैं, मगर इज़राईल और ज़ायोनिज़्म (zionism) का इतिहास कोई नहीं बता रहा। हमास के संस्थापक एक विकलांग वृद्ध शैख़ अहमद यासीन को विलेन बनाकर पेश किया जा रहा है, मगर नस्लीय अहंकार पर आधारित ज़ायॉनिस्ट आंदोलन के संस्थापक थियोडोर हर्ज़्ल (Theodor Herz) के षड्यंत्रकारी प्लान पर सबके लब सिले हुए हैं।

अल-क़स्साम ब्रिगेड की इज़राईल में विध्वंसक कार्रवाई का इतिहास तो पेश किया जा रहा है, मगर दुनिया की सबसे कुख्यात इज़राईली ख़ुफ़िया एजेंसी 'मोसाद' के 'नेकनामियों' का कोई ज़िक्र नहीं।



इज़राईल बरसों और दशकों से फ़िलिस्तीनियों पर अत्याचार ढा रहा है। ग़ज़्ज़ा की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार सामान्य है। वह हर वर्ष ग़ज़्ज़ा में घुस कर बमबारी करता रहा है, स्कूलों और हॉस्पिटल्स तक को निशाना बनाता रहा है। ग़ज़्ज़ा के मासूमों की चीखों से हमारी संवेदनाएं अब शून्य हो गयी हैं। ग़ज़्ज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में परिवर्तित कर दिया गया है, मानव अधिकार के सारे अंतर्राष्ट्रीय क़ानून और कंवेंशन्स की धज्जियां उड़ती रहीं हैं।

...और ये सब फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ क़ब्ज़ा करके अमेरिका और उसके समर्थक मुल्कों के समर्थन से चलता रहा है...मगर जब पीड़ित फ़िलिस्तीनियों ने ख़ुद को संगठित करके जवाब देने की कोशिश की तो ये 'सभ्य और शान्तिप्रिय

अंत में,

वो लोग जो चीज़ों को अतिसरलीकृत करके देखते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि फ़िलिस्तीनियों की हिमायत का मतलब है यहूदियों की मुख़ालिफ़त...हालांकि फ़िलिस्तीनियों की लड़ाई ज़ायोनिस्टों से है जो नस्लीय अहंकार की वजह से स्वयं को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समूह समझते हैं। आम यहूदियों ने तो वॉशिंगटन और येरुसलम में फ़िलिस्तीनियों के पक्ष में और ज़ियोनिस्ट इसराईल के अत्याचार के विरुद्ध प्रदर्शन किए हैं। ऐसे कई रिबाईयों के बयान गूगल पर मिल जाएंगे जो इस्राइली ज़ियोनिस्ट नीतियों के विरोधी हैं, नेतन्याहू की कार्रवाई को धार्मिक टेक्स्ट 'तौरह' के ख़िलाफ़ समझते हैं। यहूदी आंदोलन और ज़ियोनिस्ट आंदोलन के अंतर को समझना ज़रूरी है।



“ईश्वर पर दृढ आस्था के साथ अडिग रहें, अच्छे कर्म करते रहें, जिस चीज़ से रोका गया है रुके रहें, ईश्वरीय आदेश को मानें, ईशपरायणता के साथ उपकार की नीति अपनाए रखें, तो ईश्वर ऐसे सुचरित्र लोगों से बहुत प्रेम करता है।”

(क़ुरआन,5:93)

A Well Wisher

A Rahman Khan
Mumbai

चिंतन



संपादन प्रभाग

अंतिम सत्य

हम सबने बचपन में विज्ञान के लाभ एवं हानियां और इस जैसे बहुत से शीर्षकों पर स्कूल की वार्षिक परिक्षाओं में लेख लिखे होंगे। यह और इस प्रकार के दूसरे शीर्षक जैसे-'विज्ञान के लाभकारी उपयोग' या 'विज्ञान, वरदान या अभिशाप' या 'विज्ञान, भलाई है या बुराई' इस बात को प्रकट करते हैं कि आम लोगों की समझ में विज्ञान एवं तकनीक और इसके प्रभावों के संदर्भ कितने प्रभावी होते हैं।



विज्ञान इन्सान की सामाजिक ज़रूरत है और वैज्ञानिक जानकारियों के प्रयोग से जन्म लेने वाली तकनीक सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए विज्ञान को सामाजिक ज़रूरत तक ही रखना ठीक है या ठीक था, लेकिन निकट अतीत में विज्ञान और दर्शन के विभाजन ने विज्ञान को इस स्थान से उठाकर सभ्यता और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए अदृश्य सिंहासन पर बैठा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे प्रश्न जो विशुद्ध दर्शन या धर्म से संबंधित थे और जिनके उत्तर सामान्यतः धर्म और उसकी पुस्तकों से निकाले जाते थे, वे विज्ञान के प्रश्न बन गए।

निम्नलिखित प्रश्नों को देखें-

• जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या यह स्वयं उत्पन्न हो सकती है? क्या इसको बनाने वाला कोई है?

• इन्सान कैसे अस्तित्व में आया? क्या इन्सान 'सरल से जटिल' विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत धीरे-धीरे अस्तित्व में आ सकता है? जैसा कि डार्विन ने अपने विकासवाद के सिद्धांत में कहा है।

• जगत का अंत क्या है? क्या जगत नष्ट हो जाएगा? क्या यह नष्ट होकर पुनः अस्तित्व में आ सकता है?

• इन्सान और दूसरे अन्य प्राणियों में क्या अंतर है? क्या इन्सान भी दूसरे प्राणियों की तरह एक प्राणी है? या जगत में इसकी कोई विशेष हैसियत है?

• चेतना क्या है? क्या यह चेतना विशेष रूप से इन्सानों को ही प्राप्त है या यह चेतना सभी प्राणियों में है?

• बुद्धि और अंतर्ज्ञान की क्या हैसियत है? क्या बुद्धि केवल रासायनिक पदार्थों में संचरण से प्रकट होती है?

• भावनाओं और अनुभूतियों का स्रोत क्या है? क्या सभी भावनाओं और अनुभूतियों का एकमात्र स्रोत रासायनिक पदार्थ हैं?

• जड़ और चेतन के विभाजन का मूल आधार क्या है? क्या जड़ और चेतना का कोई अर्थ है?

• आत्मा क्या है? क्या आत्मा केवल समन्वय (co-ordination) मात्र है?

उक्त प्रश्नों की प्रकृति शाश्वत है। अर्थात् ये प्रश्न अतीत में भी उठते रहे हैं और भविष्य में भी उठते रहेंगे। विज्ञान, धर्म और समाज के इस जटिल त्रिकोण पर आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेना ज़रूरी है कि इस त्रिकोण के तीनों बिंदु दरअस्ल क्या है?

1. विज्ञान क्या है? इस सवाल के तकनीकी जवाब को छोड़कर यह समझना ज़रूरी है कि विज्ञान क्या नहीं है। "विज्ञान क्या नहीं है?'' इस सवाल का जवाब वह सभी सीमाएं तय कर सकती हैं, जिनकी पामाली की वजह से धर्म और विज्ञान के बीच संघर्ष के नैरेटिव सेट हुए।

2. विज्ञान एक पद्धति है, यह "अंतिम स्थिति'' नहीं है। यह अवलोकन, परीक्षण एवं निष्कर्ष का त्रिकोण है।

3. यह त्रिकोण अपने आप में स्थाई है। यानी अवलोकन वैज्ञानिकों को एक धारणा स्थापित करने पर विवश करता। इस धारणा को साबित करने के लिए वह परीक्षण करता है। परीक्षण सही हो इसके लिए वह उचित नियंत्रण का उपयोग करता है। यानी परीक्षण को प्रभावित करने वाले (compounding) सभी कारकों को दृष्टि में रखते हुए अपने परीक्षण को जहां तक संभव हो सके निष्पक्ष बनाता है। फिर परीक्षण से वह परिणाम हासिल करता है। इन परिणामों को वह गणित और सांख्यिकी के सिद्धांतों की कसौटी पर बार-बार जांचता है और उनको अपने अवलोकन के सही या ग़लत होने की दलील के तौर प्रस्तुत करता है।

• अवलोकन • धारणा • परीक्षण • परिणाम • विश्लेषण • नए प्रश्न • प्रमाण • नया अवलोकन

यानी हर अवलोकन से वैज्ञानिक अंततः नया अवलोकन हासिल करता है और यह सिलसिला जारी रहता है।

उक्त दायरा विज्ञान के ज़रिये और तरीक़े से पूछे जाने वाले बहुत से प्रश्नों के बारे में सही है। विशेषकर वे सभी प्रश्न जो जगत और मनुष्य के अस्तित्व में आने से संबंधित हैं। यानी प्रश्नों से उत्तर प्राप्त होते हैं, लेकिन वो अंतिम नहीं होते या तो अतिरिक्त होते हैं या अपूर्ण। इस रोचक त्रिकोण को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है-

चार्ल्स डार्विन ने यह अवलोकन किया कि कुछ चिड़ियों की चोंच उनसे मिलती-जुलती दूसरी चिड़ियों की चोंच से अलग है। इसी प्रकार इन्सानों और जानवरों में बहुत से कार्यों में समानता है। बहुत सारे प्राणी एक-दूसरे से प्रत्यक्ष समानता रखते हैं या एक-दूसरे से मिलती-जुलती प्रणाली रखते हैं, जैसे श्वसन तथा रक्त संचार प्रणाली आदि। इस अवलोकन और कुछ अतिरिक्त अवलोकनों के सहारे उन्होंने विकासवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार, प्रारंभिक जीवन सरल कोशिकाओं से होता हुआ मनुष्य तक पहुंचा है।

विज्ञान इन्सान की सामाजिक ज़रूरत है और वैज्ञानिक जानकारियों के प्रयोग से जन्म लेने वाली तकनीक सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होती है, लेकिन विज्ञान और दर्शन के विभाजन ने विज्ञान को इस स्थान से उठाकर सभ्यता और सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए अदृश्य सिंहासन पर बैठा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वे प्रश्न जो विशुद्ध दर्शन या धर्म से संबंधित थे और जिनके उत्तर सामान्यतः धर्म और उसकी पुस्तकों से निकाले जाते थे, वे विज्ञान के प्रश्न बन गए।

इस अवलोकन को सही साबित करने के लिए इनके बाद वाले वैज्ञानिकों (जिनकी संख्या अब लाखों तक जा पहुंची है) ने परीक्षण किए और अपने परिणाम प्रस्तुत किए, लेकिन हर परीक्षण ने नए अवलोकन और अंततः नए सवालों को जन्म दिया। जैसे-

• प्रारंभिक कोशिकाओं की संरचना कैसे हुई? यदि वह संयोग और संभाव्यता के नियमों पर हुई है तो इसका संगणनात्मक औचित्य क्यों संभव नहीं?

• प्रारंभिक पदार्थ एक विशेष अनुपात में कैसे एकत्रित हुए? यदि वह संरचना बेहतर थी, इसलिए अस्तित्व में रह गई, तो दूसरी और कौन-सी बेहतर संरचनाएं थीं! थीं भी या नहीं!

• अरबों प्रकार की संरचनाओं में से जो सबसे उपयुक्त संरचना थी वह कैसे अस्तित्व में रह गई? जबकि इसका अस्तित्व में बने रहना अपने आप में एक पहेली है।

• प्रारंभिक कोशिका विभाजित क्यों हुई? क्योंकि सफल विभाजन के लिए जो कारक हो सकते हैं वह प्रमाणित नहीं किए जा सकते! (अभी तक इसके पूर्ण प्रमाण आने शेष हैं!)

• क्या मात्र संयोग (Chance) से प्रारंभिक कोशिकाओं का विभाजन संभव है? यदि हां तो संयोग के सभी मॉडल अतिरिक्त क्यों हैं? जटिलता प्राकृतिक चयन के माध्यम से अस्तित्व

में कैसे आती है?

• क्या सभी जटिलताएं केवल 'प्राकृतिक चयन' के माध्यम से ही अस्तित्व में आती हैं या कुछ अन्य कारक भी इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं! क्या जटिलता अकस्मात भी अस्तित्व में आ सकती है! 'प्राकृतिक चयन' डार्विन के सिद्धांत का मुख्य स्तंभ है। इसका अर्थ यह होता है कि धरती पर वही प्राणी जीवित रह पाते हैं, जिनके पास पर्यावरण में जीवित बचे रहने के लिए विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं के आधार पर इनका जीवित रहना और प्रजनन के ज़रिये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना 'प्राकृतिक चयन' कहलाता है। यानी प्रकृति योग्यतम जीवों का ही वरण या चयन करती है। इसलिए इसे प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं।



उपरोक्त सवाल मात्र उदाहरण के सवाल हैं। इनमें से हर सवाल के जवाब ने नए सवाल और नए अवलोकन खड़े कर दिए हैं और अंततः उनके अंतिम जवाब पर बस यक़ीन किया जा सकता है! कुछ शोधकर्ताओं के निकट इस स्तर पर आकर धार्मिक आस्थाएं और विज्ञान एक स्थिति पर आ जाते हैं। इस प्रकर ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जो विज्ञान और उसकी प्रक्रियाओं में निश्चितता के न होने के प्रमाण हैं। इसलिए ऐसे सवाल जिनके निश्चित जवाबों के बिना मानव सभ्यता की गाड़ी सही रास्ते पर नहीं चल सकती, जैसे अगर कहा जाए कि इस जगत का कोई बनाने वाला नहीं है तो उम्मीद छिन जाती है। उम्मीद इस बात की कि कोई हिसाब-किताब होगा। ज़ालिम को सज़ा मिलेगी। अच्छे काम करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा, आदि।

अगर यह कहा जाए और मान लिया जाए कि इन्सान दूसरे प्राणियों जैसा प्राणी है, तो अच्छाई और बुराई के पैमाने समाप्त हो जाएंगे। जानवरों को अच्छाई-बुराई की कल्पना की क्या आवश्यकता? सभी सकारात्मक मानवीय भावनाएं त्याग एवं बलिदान, निष्ठा, दया, सहानुभूति और भाईचारा व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। उस समाज की कल्पना जहां ऐसी हो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

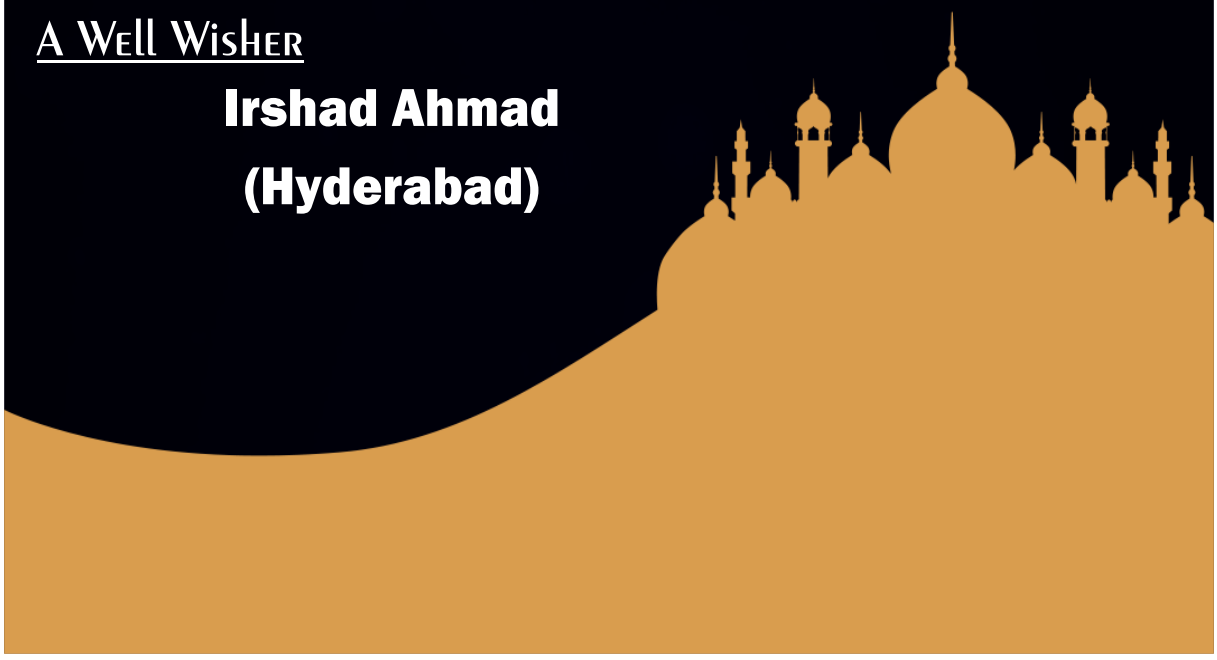
विज्ञान का अंतिम या निश्चित स्थिति के लिए न होना इसकी सबसे बड़ी ताक़त भी है और कमज़ोरी भी। स्टीफन हॉकिंग का सुप्रसिद्ध कथन इसी ओर इशारा करता है-"धर्म और विज्ञान में मूलभूत अंतर है। धर्म प्रमाणिकता (authenticity) पर आधारित है, जबकि विज्ञान अवलोकन और तर्क पर। विज्ञान अंततः विजयी होगा।'' अफ़सोस स्टीफन हॉकिंग यह नहीं बता सके कि इस विजय के बाद क्या होगा? इस विजय का अनिवार्य प्रभाव क्या होगा?

विज्ञान 'कैसे' का जवाब है, 'क्यों' का नहीं। विज्ञान जड़ और चेतन सभी में कैसे से जुड़े सवालों का जवाब है। यह 'क्यों' का भी जवाब है, लेकिन पूरा नहीं। 'क्यों' का जवाब हासिल करते-करते विज्ञान एक विशेष स्तर तक जाकर रुक जाता है। एक सीमा के बाद विज्ञान 'क्यों' जवाब हासिल करने में असमर्थ हो जाता है और उसके सामने अनुमान, कल्पना या विश्वास के अलावा कोई दूसरा चारा शेष नहीं रह जाता।

विज्ञान 'कैसे' का जवाब है, 'क्यों' का नहीं। विज्ञान जड़ और चेतन सभी में 'कैसे' से जुड़े सवालों का जवाब है। यह 'क्यों' का भी जवाब है, लेकिन पूरा नहीं। 'क्यों' का जवाब हासिल करते-करते विज्ञान एक विशेष स्तर तक जाकर रुक जाता है। एक सीमा के बाद विज्ञान 'क्यों' जवाब हासिल करने में असमर्थ हो जाता है और उसके सामने अनुमान, कल्पना या विश्वास के अलावा कोई दूसरा चारा शेष नहीं रह जाता। ■■

“जो लोग अपने माल को रात-दिन छिपे और खुले ख़र्च करते हैं, उनके लिए अपना प्रतिदान उनके ‘रब’ के पास है, और न उन्हें कोई भय है और न वे शोकाकुल होंगे।
(क़ुरआन, 2:274)”

A Well Wisher
Irshad Ahmad
(Hyderabad)





व्यक्तित्व का दर्पण

सौंदर्य बोध



तबाना नूरी

हमारी भारतीय संस्कृति व सभी धर्मों का मूल आधार शिष्टता है। विश्व के सभी धर्मों में मानव के नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात कही गई है। इस्लाम धर्म में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। पवित्र क़ुरआन में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की प्रशंसा करते हुए कहा गया है- "और निश्चय ही तुम शील स्वभाव के शिखर पर हो।"

(क़ुरआन, 68:4)

मानव समाज में रहते हुए मनुष्य को कुछ नियमों तथा कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अभिप्राय यह कि सामाजिक जीवन की गाड़ी को सुखमय ढंग से चलाने के लिए कुछ विधि सम्मत नियम बनाए गए हैं, जिनसे सभ्य समाज का निर्माण होता है। परंतु, जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूलकर सामाजिक नियमों की अवहेलना करने लगता है तब अशिष्टता का जन्म होता है। अशिष्टता का दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें अनुशासनहीनता के समस्त आचरणों को शामिल किया जा सकता है। अशिष्टता व्यक्ति के आचरण में समाहित वह विषैली प्रवृत्ति है, जिससे अनैतिकता पुष्ट होती है। यह एक ऐसा अनैतिक गुण है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने सभी आदर्शों को खो देता है।

अनैतिकता और अशिष्टता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जो मानव जीवन को रसातल की ओर ले जाते हैं। इसीलिए अशिष्टता को हम दुष्टता, उदंडता, असभ्यता, अभद्रता, उच्छृंखलता आदि अनेक विशेषणों से जानते हैं। अनैतिकता से तात्पर्य उन गुणों से है, जिनके आधार पर मनुष्य के अंदर दया, करुणा, क्षमा, सत्य, न्याय, स्वावलंबन आदि स्वतः समाप्त हो जाता है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने परिवार, समाज में अपने गरिमामयी स्थान को खो देता है। अनैतिकता को अगर एक बीमारी मानें तो अशिष्टता उसका परिणाम है। अशिष्ट व्यक्ति के लिए लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुख दुर्लभ हैं।

अशिष्टता जीवन के हर क्षेत्र में हो सकती है। इससे न सिर्फ़ अशिष्ट व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, बल्कि उसके साथ रहने वाले लोग, रिश्तेदार

व घर-परिवार के लोग भी परेशान रहते हैं। मनुष्य का वह आचरण जो सभ्य समाज द्वारा निंदनीय है, अशिष्टता है। अशिष्टता किसी व्यक्ति का भीतरी दुर्गुण है, जो बाहरी व्यवहार में आकर दूसरों को पीड़ा देती है। एक ओर जहां शिष्टता मनुष्य के शुभ गुणों का निरंतर विकास करती है वहीं अशिष्टता अशुभ गुणों का विकास करती है। शिष्टता, सदाचार का अर्थ है-नियम और व्यवस्था का पालन। प्रकृति में सर्वत्र नियमों का पालन होता है। धरती, सूरज, चन्द्रमा सभी अपनी धुरी पर घूमते हैं। यदि ये अशिष्ट व्यवहार करें तो सृष्टि का चक्र पल भर को भी न चल पाए। परिवार हो या समाज या राष्ट्र जब अशिष्टता को प्रश्रय देता है तो वह सर्वनाश की ओर अग्रसर हो जाता है।

हमारी भारतीय संस्कृति व सभी धर्मों का मूल आधार शिष्टता है। विश्व के सभी धर्मों में मानव के नैतिक मूल्यों की रक्षा की बात कही गई है। इस्लाम धर्म में शिष्टाचार का बहुत महत्व है। पवित्र क़ुरआन में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की प्रशंसा करते हुए कहा गया है-

"और निश्चय ही तुम शील स्वभाव के शिखर पर हो।" (क़ुरआन, 68:4)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है-"मैं शिष्टाचार के गुणों और उसकी पूर्ति के लिए नियुक्त किया गया हूं।" (हदीस) इस्लाम शिष्ट स्वभाव को वास्तविक ईमान की पूर्ति का साधन बताता है। हदीसों में बुराइयां और अपराध करने वालों के ईमान को नकारा गया है।

इस्लाम धर्म में शिष्टाचार बुनियादी शिक्षा में शामिल है और इसकी शिक्षा क़ुरआन और पैग़म्बर (सल्ल०) द्वारा दी गई हैं। न्याय, उपकार, सच्चाई, ईमानदारी, वचनबद्धता, जीव-जन्तुओं से सहानुभूति, लज्जा, विनम्रता, दानशीलता, मर्यादा, क्षमा करना, ग़ुस्से पर क़ाबू, इसी तरह मां-बाप के साथ सद्व्यवहार, रिश्तेदारों पर ख़र्च करना, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार, निर्धन, अनाथ, मुसाफ़िर और नौकरों से स्नेह रखना, कमज़ोर की मदद, पीड़ितों को न्याय दिलाना, आचार एवं व्यवहार के ये सभी गुण धर्म के आदेश हैं।

पवित्र क़ुरआन ने इन आदेशों का पालन करने वालों को सदाचारी और परहेज़गार होने की शुभ-सूचना दी गई है।

इन गुणों के विपरीत अत्याचार, झूठ, बेईमानी, धोखा, वचन तोड़ना, क्रूरता, निर्लज्जता, अहंकार,

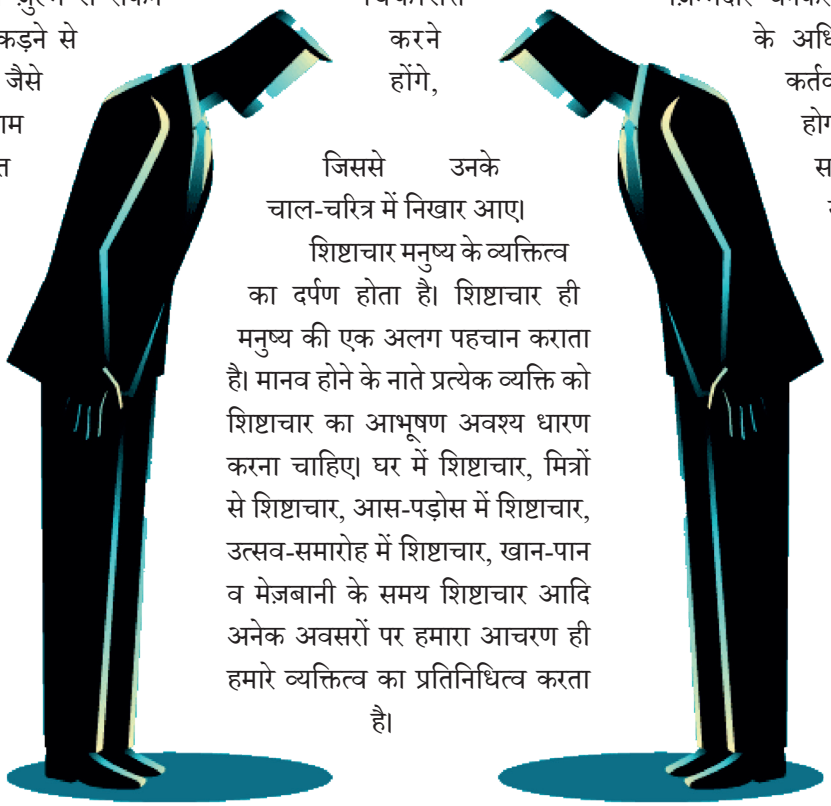
अशिष्टता किसी व्यक्ति का भीतरी दुर्गुण है, जो बाहरी व्यवहार में आकर दूसरों को पीड़ा देती है। एक ओर जहां शिष्टता मनुष्य के शुभ गुणों का निरंतर विकास करती है वहीं अशिष्टता अशुभ गुणों का विकास करती है। शिष्टता, सदाचार का अर्थ है-नियम और व्यवस्था का पालन। प्रकृति में सर्वत्र नियमों का पालन होता है। धरती, सूरज, चन्द्रमा सभी अपनी धुरी पर घूमते हैं। यदि ये अशिष्ट व्यवहार करें तो सृष्टि का चक्र पल भर को भी न चल पाए। परिवार हो या समाज या राष्ट्र जब अशिष्टता को प्रश्रय देता है तो वह सर्वनाश की ओर अग्रसर हो जाता है।



पीठ पीछे बुराइयां, परनिंदा, झूठी गवाही, खुले एवं छिपे अपराध करना, नशे का इस्तेमाल, मां-बाप का अनादर, रिश्तों का सम्मान न रखना, पड़ोसी को कष्ट देना, अनाथ के अधिकारों का हनन, निर्धन एवं मुसाफ़िर के साथ क्रूरता, सत्य, धैर्य एवं सहानुभूति के उपदेश आपस में एक-दूसरे को न देना, बुराइयों को फैलने के लिए छोड़ देना, अत्याचारी को ज़ुल्म से रोकने और उसका हाथ पकड़ने से डरना, ये और इन जैसे तमाम अवगुण इस्लाम में अवैध और घृणित घोषित किए गए हैं। इन्हें बड़े अपराधों में शामिल किया गया है और इसके लिए दंड की चेतावनी दी गई है।

इस्लामी शिष्टाचार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ा है। जीवन का कोई मैदान इससे अलग नहीं है। इसके विपरीत दूसरी सभ्यताओं में दर्शनशास्त्र और शिष्टाचार, अर्थशास्त्र और शिष्टाचार, राजनीति और शिष्टाचार तथा युद्ध और शिष्टाचार के बीच अन्तर पाया जाता है।

किसी व्यक्ति के अशिष्ट होने का मतलब है कि उसमें विनम्रता की कमी, औचित्यहीनता, अनुशासन की कमी, असभ्यता आदि अवगुण आ गए हैं। इन अवगुणों का मतलब यह है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है, और वह भूल जाता है कि उसका व्यवहार समय व स्थान के अनुसार कैसा होना चाहिए। इसलिए बचपन से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाना ज़रूरी है। यह इसलिए भी ज़रूरी है कि हाल के दिनों में देश के नामचीन शिक्षण संस्थानों में अनैतिक घटनाएं घटने लगी हैं। इन घटनाओं की तह में जाकर हमें बच्चों में ऐसे संस्कार विकसित करने होंगे, जिससे उनके चाल-चरित्र में निखार आए।



शिष्टाचार मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। शिष्टाचार ही मनुष्य की एक अलग पहचान कराता है। मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को शिष्टाचार का आभूषण अवश्य धारण करना चाहिए। घर में शिष्टाचार, मित्रों से शिष्टाचार, आस-पड़ोस में शिष्टाचार, उत्सव-समारोह में शिष्टाचार, खान-पान व मेज़बानी के समय शिष्टाचार आदि अनेक अवसरों पर हमारा आचरण ही हमारे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है।

मन, वचन एवं कर्म से अपने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आचरण तथा कृत्य से किसी को किसी प्रकार का दुख तकलीफ़ न पहुंचाना, परेशान न करना ही एक शिष्ट आचरण की पहचान है। अपने आपको सन्तुष्ट तथा आनंदित करने के लिए हम दूसरों को परेशान कर देते हैं। हमें यह आभास तथा एहसास ही नहीं होता कि ऐसा करने से किसी को कष्ट, दुख या तकलीफ़ हो सकती है। हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए हमें सभी के दुख, तकलीफ़ तथा पीड़ा को समझना होगा। वैसे भी दूसरे को परेशान कर कभी भी मानसिक एवं आत्मिक शान्ति नहीं मिल सकती। इसलिए मानवीय मूल्यों की रक्षा हेतु शिष्टाचार पर ज़ोर दिया जाता है।

एक नागरिक होने के नाते हमें ज़िम्मेदार बनकर अपने एवं दूसरों के अधिकारों तथा अपने कर्तव्यों को समझना होगा। सभी जागरूक, समझदार तथा संवेदनशील बनकर एक स्वस्थ समाज की स्थापना में सहयोग कर सकते हैं। यह समाज सबको मिलाकर बनता है। इसलिए एक ज़िम्मेदार नागरिक बनकर हमें अपने कुशल व्यवहार तथा संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए।

एक शिष्ट परिवार एवं समाज का निर्माण शिक्षित एवं चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा ही होता है। जिस व्यक्ति में शिष्टता नहीं होती वह पशु समान है। बातचीत के ढंग से ही व्यक्ति की शिष्टता की पहचान होती है। यदि हम दूसरे के व्यवहार में शिष्टता की अपेक्षा रखते हैं तो हमें स्वयं भी अपने व्यवहार में शिष्टता लानी होगी। ■■

(लेखिका ऑस्ट्रेलिया में रह रही प्रवासी भारतीय हैं)

“सदक़े से माल में कमी नहीं आती।
भलाई के कामों में
ख़र्च करो,
तुम पर
ख़र्च किया
जाएगा।”

(हदीस : मुस्लिम, बुख़ारी)



A Well Wisher

Goa Barrells Suppliers (Goa)



स्वच्छ भारत : अभियान नहीं आदत बने

मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद

एक बार फिर देश और प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन ज़ोर-शोर से शुरू किया गया। बीते माह 15 दिनों तक चले 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में करोड़ों लोगों के शामिल होने और 8.5 लाख से अधिक स्थानों पर सफ़ाई किए जाने किए जाने का आंकड़ा उत्साहित करने वाला है। लगभग एक दशक से केंद्र सरकार स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन इसकी ज़मीनी हक़ीक़त वैसी नहीं है जैसी कि टीवी, अख़बारों और अन्य डिजिटल मंचों पर प्रचारित की जा रही है।

राजधानी दिल्ली सहित देश भर में साफ़-सफ़ाई की क्या स्थिति है इसे जानने के लिए किसी विशेष प्रयत्न की आवश्कता नहीं, कुछ पॉश कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो सफ़ाई व्यवस्था की दुर्दशा के दर्शन आसानी से हो जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली का जब यह हाल है तो बाक़ी राज्यों के अन्य शहरों के बारे में आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कचरे के गंधाते ढेरों, उफनते-बजबजाते सीवरों, गंदी नालियों से झांकती बदसूरत हक़ीक़त देश के तमाम नगरों, महानगरों, गांवों और क़स्बों तक फैली है।

उल्लेखनीय है कि 'स्वच्छ भारत' अभियान मौजूदा केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रचारित अभियान है। इस अभियान के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था। केंद्र सरकार ने 'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत 2019 में ही भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन उसका यह दावा डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा इसी साल जारी एक रिपोर्ट के सामने ढेर हो गया।

रिपोर्ट में ख़ुलासा हुआ है कि वर्ष 2022 में ग्रामीण भारत के 17 प्रतिशत लोग खुले में शौच कर रहे थे। भारत की कुल आबादी क़रीब 1.40 अरब है, जिसमें क़रीब 65 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाक़ों में रहते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक़ कम से

कम 15 करोड़ लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ने यह भी दावा किया है कि ग्रामीण भारत में क़रीब 25 प्रतिशत परिवारों के पास अपना अलग शौचालय भी नहीं है। यह भी ओडीएफ (Open Defecation Free) घोषित किए जाने के मुख्य लक्ष्यों में से था।

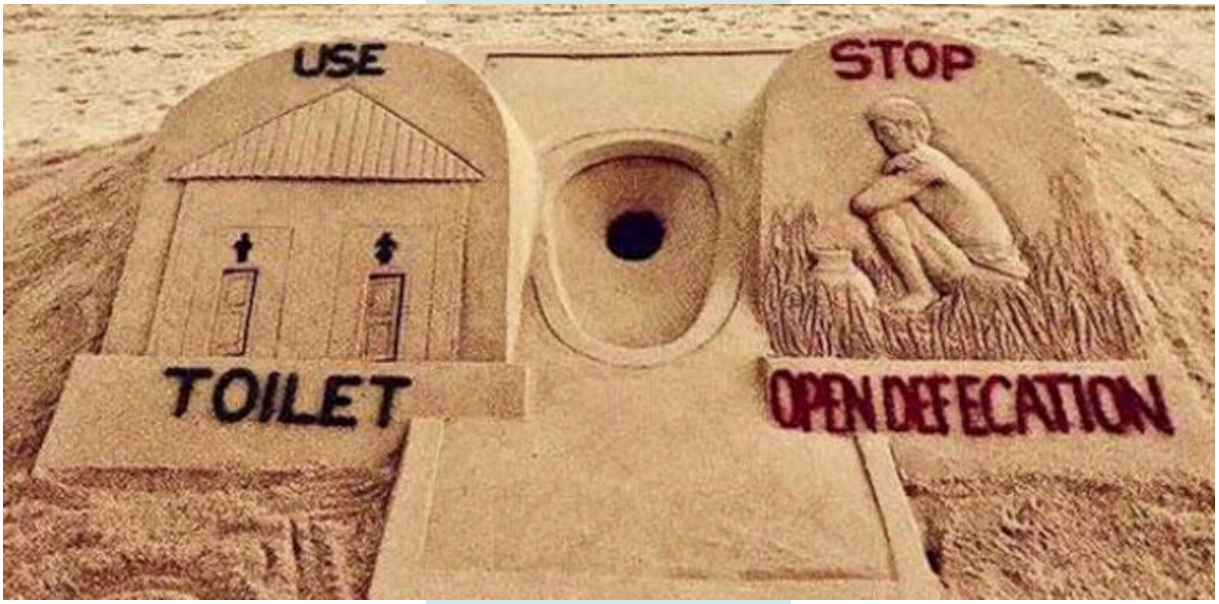
अब इस रिपोर्ट ने पूरी तरह खुले में शौच से मुक्ति के सरकार के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसी प्रकार वर्ष 2019-20 में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उस समय देश में कम से कम 19 प्रतिशत परिवार खुले में शौच कर रहे थे। बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में तो यह संख्या 62, 70 और 71 प्रतिशत तक थी। एक बार फिर सरकार के ओडीएफ के दावों को ग़लत बताया गया है। देखना होगा कि सरकार इस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के नतीजों को किस प्रकार लेती है?

वास्तविकता यह है कि 'स्वच्छ भारत अभियान' की सफलता पर इसकी शुरुआत से ही संदेहों की धूल जमी हुई है। यह अभियान महज़ वार्षिक शो बनकर रह गया है। सरकार, जनप्रतिनिधि और संबंधित सरकारी विभाग इसे लेकर उतने गंभीर नहीं हैं जितने कि उन्हें होना चाहिए। हमारी सरकार अभी तक शहरों की स्वच्छता से संबंधित विभागों को जवाबदेह बनाने में भी कामयाब नहीं हो सकी है।

ऐसे में सवाल उठता है क्या ऐसी स्थिति में स्वच्छता अभियान का कोई असर पड़ेगा? नगर निगम और नगर पालिकाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन क्यों नहीं कर रही हैं? कूड़े के उठान से लेकर इसके निस्तारण तक की सुचारू व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की जा सकी है? शहर को स्वच्छ रखने के लिए जारी होने वाला भारी-भरकम बजट कहां ख़र्च किया जा रहा है? नगर निगमों और नगर पालिकाओं का भारी-भरकम अमला क्या कर रहा है? शहर में व्याप्त गंदगी के लिए कौन ज़िम्मेदार है? घर का कूड़ा नागरिक आख़िर कहां निस्तारित करेंगे?

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वच्छ

"'स्वच्छ भारत' अभियान मौजूदा केंद्र सरकार का सबसे बड़ा प्रचारित अभियान है। इस अभियान के तहत पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था। केंद्र सरकार ने 'स्वच्छ भारत' अभियान के तहत 2019 में ही भारत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया था, लेकिन उसका यह दावा डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ द्वारा इसी साल जारी एक रिपोर्ट के सामने ढेर हो गया। देखना होगा कि सरकार इस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के नतीजों को किस प्रकार लेती है?"

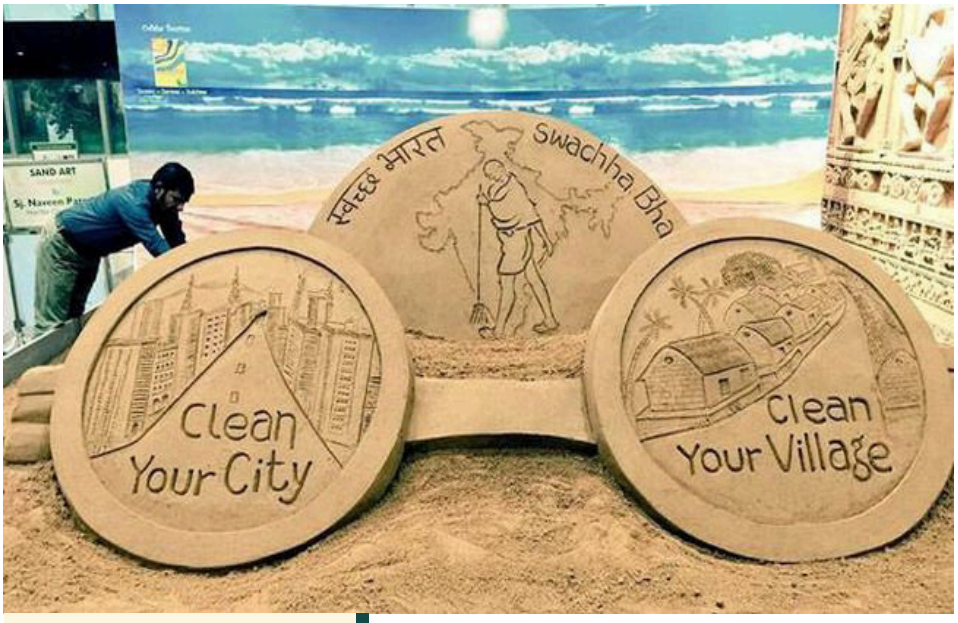


भारत अभियान का उत्साह मात्र झाड़ू लेकर नेताओं-अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवाने तक सीमित होकर रह गया, किसी व्यापक अभियान या जन-सरोकार में परिणत नहीं हो सका है।

यदि सरकार वाक़ई शहरों को स्वच्छ रखना चाहती है तो उसे संबंधित विभागों को जवाबदेह बनाना होगा साथ ही लापरवाह कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई करनी होगी अन्यथा स्वच्छ भारत का सपना बस सपना ही रह जाएगा और यह अभियान वार्षिक शो ही साबित होगा।

हाल के सर्वेक्षणों से पता चला है कि पूरे भारत में अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा निपटान, सामान्य स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई की गुणवत्ता ख़राब बनी हुई है, भले ही स्वच्छ भारत अभियान ने नागरिकों से कर (Tax) एकत्र किया है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिणाम दिखाने में विफल रहा है। समस्या सरकार की धन प्रबंधन एवं सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में असमर्थता और स्वच्छता के प्रति लोगों के रवैये में भी है।

यह ठीक है कि 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में लोगों ने सास-सफ़ाई को लेकर रुचि दिखाई, लेकिन यह समझा जाना चाहिए कि स्वच्छता के प्रति हमें सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। वास्तव में यह सामूहिक दायित्व है और इसका परिचय हमें केवल किसी विशेष दिन अथवा सप्ताह या पखवाड़े में नहीं दिया जाना चाहिए। यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर साफ़-सफ़ाई की ज़िम्मेदारी तो नगर निकायों की है। यह सही है कि कचरा निस्तारण की ज़िम्मेदारी नगर निकायों की है और इस दिशा में अभी काफ़ी



एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम न तो गंदगी फैलाएं और न दूसरों को फैलाने दें। स्वच्छता को एक आदत के रूप में हम भारतीयों को अपनाना होगा, इसी से भारत स्वच्छ बनेगा और तमाम बीमारियों से भी बचा रहेगा।

कुछ किया जाना शेष है, लेकिन हमारे सार्वजनिक स्थल साफ़-सुथरे रहें, इसकी चिंता देश के हर नागरिक को करनी होगी और उन्हें इसमें अपना योगदान देने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए।

स्वच्छता न केवल हमारी बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण के लिए भी आवश्यक तत्व है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम साफ़-सफ़ाई की संस्कृति को पूरी तरह से अपनाएं। साफ़-सफ़ाई को अपने जीवन में रचा-बसा लें। सफ़ाई मतलब सिर्फ़ अपने घर या कमरे को साफ़ रखने तक सीमित नहीं है। सड़कें, पार्क, पर्यटन स्थलों या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न करना तथा सफ़ाई में योगदान देना भी हमारा कर्तव्य है। अभी एक औसत भारतीय अपने घर के भीतर सफ़ाई को लेकर जितना सचेत रहता है उतना सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने के प्रति सजग नहीं दिखता। आज भी हमारे देश में गंदगी के कारण लोग कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

स्वच्छता के प्रति सही समझ को विकसित करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम न तो गंदगी फैलाएं और न दूसरों को फैलाने दें। स्वच्छता को एक आदत के रूप में हम भारतीयों को अपनाना होगा, इसी से भारत स्वच्छ बनेगा और तमाम बीमारियों से भी बचा रहेगा। ■■

सवालों के घेरे में स्वच्छ भारत अभियान



अभिमत



केसी त्यागी

हम अमृतकाल पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता अभियान के कई कार्यक्रम आयोजित किए। बापू ने अपने अंतिम दिनों में अपना अधिकांश समय वाल्मीकि बस्ती में गुज़ारा। साबरमती आश्रमवासियों के लिए उनकी शर्त थी कि सभी अपना शौचालय स्वयं साफ़ करेंगे। इसके उल्लंघन के लिए उन्होंने कस्तूरबा और आचार्य कृपलानी तक को झिड़का था।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने लोकसभा के इसी सत्र में जानकारी दी की बीते पांच वर्षों में सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफ़ाई करते हुए 399 लोगों की जान गई। उन्होंने यह भी बताया कि देश के 766 ज़िलों में से 530 ने यह बताया है कि वे मैला ढोने की प्रथा से मुख हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अन्य ज़िलों में अभी भी मैला ढोने की प्रथा जारी है। यह तब है जब संसद द्वारा 2013 में पारित एक प्रस्ताव के तहत दिसंबर 2014 में एक क़ानून बन चुका है। इसके अनुसार हाथ से मैला उठाना और बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के सीवर या सेप्टिक टैंक के अंदर जाना प्रतिबंधित है। सेप्टिक टैंक की सफ़ाई में 21 दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। इसमें विशेष सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, सेफ्टी बेल्ट आदि सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों की बदबू हमें विचलित कर देती है, लेकिन हमारे जैसे कुछ लोग अस्वच्छ एवं शुष्क शौचालयों से मानव अपशिष्ट को झाड़ से हटाते हैं। आख़िर इससे अधिक अमानवीय क्या हो सकता है कि जो लोग शुष्क शौचालयों की सफ़ाई में शामिल हैं, उन्हें मानव

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर में कुल 11.635 लोग अभी भी मैला ढोने का काम करते हैं। छोटे-बड़े शहरों के आवासीय एवं कार्यालय परिसरों के सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफ़ाई के लिए ठेकेदारों द्वारा 400-500 रुपये देकर अकुशल सफ़ाई कर्मचारियों को बेल्ट, मास्क, टार्च और अन्य बचाव उपकरणों के बिना ही 10-15 मीटर गहरे टैंकों में उतार दिया जाता है। उचित रोज़गार के अभाव में सफ़ाईकर्मी जोखिम उठाने को बाध्य होते हैं, जहां कई बार अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड आदि ज़हरीली गैसों से उनकी मौत हो जाती है।

मल को ले जाकर दूरदराज़ के स्थानों पर निपटान करना होता है। यह समझा जाना चाहिए कि शुष्क शौचालयों की सफ़ाई प्रक्रिया अपमानजनक है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश भर में कुल 11.635 लोग अभी भी मैला ढोने का काम करते हैं। छोटे-बड़े शहरों के आवासीय एवं कार्यालय परिसरों के सीवर एवं सेप्टिक टैंकों की सफ़ाई के लिए ठेकेदारों द्वारा 400-500 रुपये देकर अकुशल सफ़ाई कर्मचारियों को बेल्ट, मास्क, टार्च और अन्य बचाव उपकरणों के बिना ही 10-15 मीटर गहरे टैंकों में



उतार दिया जाता है। उचित रोज़गार के अभाव में सफ़ाईकर्मी जोखिम उठाने को बाध्य होते हैं, जहां कई बार अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाईऑक्साइड आदि ज़हरीली गैसों से उनकी मौत हो जाती है।

इस तरह की घटनाएं आए दिन होती हैं। ये घटनाएं स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़े करती हैं। सफ़ाईकर्मी जब किसी सीवर लाइन या सेप्टिक टैंक की सफ़ाई के लिए उसमें उतरते हैं तो वहां उन्हें ज़हरीली गैसों से जलन, सांस, उल्टी, सिरदर्द, संक्रमण आदि का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं, जब दुर्गंध के कारण किसी सफ़ाईकर्मी ने असमर्थता ज़ाहिर की तो उसे शराब का सेवन कराकर सफ़ाई के लिए उतारा गया।

हम अमृतकाल पर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता अभियान के कई कार्यक्रम आयोजित किए। बापू ने अपने अंतिम दिनों में अपना अधिकांश समय वाल्मीकि बस्ती में गुज़ारा। साबरमती आश्रमवासियों के लिए उनकी शर्त थी कि सभी अपना शौचालय स्वयं साफ़ करेंगे। इसके उल्लंघन के लिए उन्होंने कस्तूरबा और आचार्य कृपलानी तक को झिड़का था।

बाबा साहब भीमराव आंबेडकर का मानना था कि भारत में कोई अपने काम की वजह से सफ़ाईकर्मी नहीं है, बल्कि जन्म के चलते है। हाथ से मैला साफ़ करना या मल से भरी टोकरी उठाने

का काम सामंती उत्पीड़न की निशानी है। जातिगत व्यवस्था की मज़बूत पकड़ से बंधे ये बेबस लोग समाज में आज भी तिरस्कृत हैं। शायद इसीलिए उनकी मौतों पर सभ्य समाज में न तो कोई तीखी प्रतिक्रिया होती है और न ही राष्ट्रीय बहस छिड़ती है।

आख़िर ऐसी घटनाएं लोगों की संवेदना को क्यों नहीं झकझोरतीं? सीवर के अंदर सफ़ाई कर्मचारी की मौतें एक तरह से हत्या हैं। गांधी जी ने इस पर अपनी भावनाएं प्रकट की थीं। उन्होंने लिखा था, 'अगर मुझे इस जन्म में मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अगले जन्म में सफ़ाईकर्मी के रूप में पैदा होना पसंद करूंगा।'

हाथ से मैला साफ़ करना या मल से भरी टोकरी उठाने का काम सामंती उत्पीड़न की निशानी है। जातिगत व्यवस्था की मज़बूत पकड़ से बंधे ये बेबस लोग समाज में आज भी तिरस्कृत हैं। शायद इसीलिए उनकी मौतों पर सभ्य समाज में न तो



कोई तीखी प्रतिक्रिया होती है और न ही राष्ट्रीय बहस छिड़ती है। आख़िर ऐसी घटनाएं लोगों की संवेदना को क्यों नहीं झकझोरतीं? सीवर के अंदर सफ़ाई कर्मचारी की मौतें एक तरह से हत्या हैं।

पिछले लगभग दो सौ वर्षों का इतिहास गवाह है कि शहरीकरण के साथ मैला ढोने की प्रथा का भी विस्तार हुआ। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसे संस्थागत रूप दिया गया। सेना की छावनियों और नगर पालिकाओं में मैला ढोने वालों के लिए बाक़ायदा पद निर्मित किए गए। वर्तमान सरकार पुराने क़ानूनों को बदलने की मुहिम चला रही है, लेकिन सही अर्थों में उसे सफल तभी माना जाएगा, जब मैला ढोने की कलंक रूपी प्रथा से देश को मुक्ति मिलेगी। स्वच्छता अभियान को सफल बनाना है तो सबसे पहले इस कलंक से मुक्त होना होगा। यहां एक ऐतिहासिक प्रसंग का ज़िक्र भी आवश्यक है।

परंपरागत कलाओं-पेशों पर हुए हमलों, कृषि लगान की भयानक लूट, अकाल आदि ने लाखों लोगों विशेषकर दलितों को मल की साफ़-सफ़ाई के अमानवीय काम को करने के लिए मजबूर किया।

विडंबना यह है कि भारत में भी आज़ादी के इतने साल बीत जाने और विकास के तमाम दावों के बावजूद यह कुप्रथा जारी है। यह कुप्रथा सामंती सोच को बयान करती है। भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी यह कुप्रथा अलग-अलग ढंग से मौजूद है और कमोबेश हर जगह इसका आधार जाति है। ■■

(साभार : दैनिक जागरण)



स्वच्छता की महानता

समाधान



नसीम ग़ाज़ी फ़लाही

स्वच्छता व पवित्रता का प्रभाव इन्सान के दिल और दिमाग़ पर तो पड़ता ही है, इन्सान और इन्सानी समाज की सेहत का भी इससे बड़ा गहरा संबंध है। साफ़-सफ़ाई को हर इन्सान स्वाभाविक रूप से पसंद करता है, यह और बात है कि इसका तरीक़ा और पैमाना लोगों की नज़र में अलग-अलग होता है। इस्लाम हमारे पैदा करने वाले पालनहार ईश्वर की ओर से भेजे हुए मार्गदर्शन और हिदायत का नाम है, जिसमें इन्सानों और इन्सानी समाज के हर पहलू के लिए आदेश और निर्देश दिए गए हैं। इसी लिए साफ़-सफ़ाई और पवित्रता को सिर्फ़ इन्सान की अपनी इच्छा और पसंद पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसके बारे में भी बड़ी बारीकी और विस्तार के साथ ईश्वर की किताब 'पवित्र क़ुरआन' और ईश्वर के पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के कथनों (हदीसों) में निर्देश दिए गए हैं।

इस्लाम में साफ़-सफ़ाई और पवित्रता की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसका अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने अपनी ज़्यादातर इबादतों (उपासनाओं) और धार्मिक कामों को अदा करने के लिए साफ़-सफ़ाई को अनिवार्य कर दिया है, यानी साफ़ और पवित्र हुए बग़ैर ये इबादतें अदा ही नहीं की जा सकतीं।

> ***"निस्संदेह ईश्वर उन्हें पसंद करता है जो स्वच्छता को पसंद करते हैं।"***
>
> (क़ुरआन, 2:222)

इस्लाम की एक विशेषता यह भी है कि उसने केवल ऊपरी साफ़-सफ़ाई पर ही ज़ोर नहीं दिया, बल्कि वास्तविक पवित्रता की अवधारणा (तसव्वुर) को

भी प्रस्तुत किया है। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि इस्लाम ने साफ़-सफ़ाई को पवित्रता प्रदान की है और हमें वास्तविक पवित्रता और उसकी आत्मा (रूह) से अवगत कराया है।

इस्लाम में साफ़-सफ़ाई और पवित्रता की जो अहमियत है, उसका अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) को ईश्वर की ओर से जो आदेश दिए गए उनमें एक आदेश सफ़ाई और पवित्रता का भी था।

''ऐ ओढ़ने-लपेटने वाले! (पैग़म्बर मुहम्मद!) उठो और (लोगों को) सावधान करने में लग जाओ। और अपने पालनहार ईश्वर की बड़ाई बयान करो। अपने दामन को पवित्र रखो और गंदगी से दूर रहो।''

(क़ुरआन, 74:1-5)

पवित्र क़ुरआन में पाक-साफ़ रहने वालों के बारे में कहा गया है :

''बेशक ईश्वर तौबा (ईश्वर से माफ़ी मांगने) करने वालों को और पाक-साफ़ रहने वालों को पसंद करता है।''

(क़ुरआन, 2:222)

तौबा और पाकी (पवित्रता) व सफ़ाई में परस्पर बड़ा गहरा संबंध है। तौबा इन्सान को भीतर से पाक-साफ़ करती है और सफ़ाई बाहर से। यानी तौबा मन को पाक करती है और सफ़ाई तन को। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है कि, "नापाक (अपवित्र) और गंदा रहने वाला व्यक्ति ईमान वाला (आस्थावान) हो ही नहीं सकता। यदि वह कभी नापाक हो जाता है या कोई गंदगी उसको लग जाती है तो वह इस हालत में देर तक नहीं रहता, बल्कि जल्द-से-जल्द पाक-साफ़ होने की कोशिश करता है, क्योंकि ईमान वाला तो साफ़-सुथरा और हमेशा पवित्र रहता है। पैग़म्बर ने यह भी कहा कि, ''स्वच्छता व पवित्रता और साफ़-सफ़ाई आधा ईमान है।''

(हदीस : मुस्लिम-223)

ईमान को दो भागों मे बांटा जा सकता है। आधा ईमान तो यह है कि इन्सान अपनी आत्मा और रूह को गंदा और अस्वच्छ न होने दे। अपने दिल और दिमाग़ को ग़लत विचारों, अधर्म, पथ-भ्रष्टता और अंधकार से बचाए रखे। वह कोई अनैतिक और अश्लील काम न करे। वह उन विचारों, आस्थाओं और धारणाओं (अक़ीदों) को अपनाए जो सत्य के अनुकूल हों और अपने विचारों को शुद्ध रखे। अपने चरित्र को अच्छा बनाए।

बाक़ी आधा ईमान यह है कि इन्सान बाहरी गंदगियों को दूर करके अपने शरीर, कपड़े और जगह आदि की सफ़ाई पर पूरा ध्यान दे। इन्हीं दोनों प्रकार की साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता व पवित्रता से ईमान पूर्ण होता है। जो लोग अपने आपको इस प्रकार निर्मल और पाक-साफ़ रखते हैं, वे अपने पालनहार ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं।

इस्लाम की शिक्षाओं और ईश्वर के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के आदेशों को देखा जाए तो मालूम होगा कि इस्लाम ने स्वच्छता और पवित्रता को पूरा-पूरा महत्व दिया है और इसमें कोई कमी नहीं की है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने आम स्थानों, नदी के घाट पर,



छायादार स्थानों और आम रास्तों पर मल-मूत्र करने और कूड़ा-करकट डालने से मना किया है। उनका कथन है, ''तीन निंदित कार्यों से बचो, यानी घाटों, आम रास्तों और छायादार जगहों पर मल-मूत्र मत करो।'' (हदीस : अबू-दाउद-26)

नदियों और तालाबों के घाटों पर लोग नहाते-धोते हैं, आम रास्तों पर चलते-फिरते हैं और छायादार जगहों, जैसे पेड़ आदि के नीचे आराम करते हैं, इसलिए ऐसी जगहों के गंदा होने से लोगों को परेशानी होती है और वे गंदगी करने वाले को बुरा-भला कहते हैं। सार्वजनिक स्थलों और आम रास्तों पर गंदगी से प्रदूषण और बीमारियां भी फैलती हैं।

कुछ लोग पान आदि खाकर उसकी पीक आम रास्तों, दीवारों और सीढ़ियों वग़ैरा पर थूक देते हैं, ये और इस तरह की तमाम हरकतें इसी आदेश के तहत आती हैं। इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए और अपने किसी काम से लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए।

आम जगहों ख़ासतौर से रास्तों और सड़कों को साफ़-सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी शासन की बताई गई है, क्योंकि इतना बड़ा काम पाबंदी के साथ शासन की मदद के बिना पूरा किया जाना आसान नहीं है।

इस्लामी दौर के शासक रास्तों और सड़कों आदि की सफ़ाई को अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे, जैसा कि निम्न वाक़िये से मालूम होता है-

हज़रत हसन बसरी (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू-मूसा अशअरी (रज़ि.) जब गवर्नर की हैसियत से बसरा भेजे गए तो उन्होंने (वहां का चार्ज लेने के बाद) बसरावासियों से कहा

''हज़रत उमर (रज़ि.) (इस्लामी राज्य के प्रमुख) ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है ताकि मैं आप लोगों को आपके रब की किताब और आपके पैग़म्बर की सुन्नत (यानी क़ुरआन व हदीस) की शिक्षा दूं और आपके रास्तों और सड़कों को साफ़-सुथरा रखने का प्रबंध करूं।'' (हदीस : दारमी मुक़द्दमा-560)

आम रास्तों और सड़कों की साफ़-सफ़ाई तभी मुमकिन है कि जब आम लोग इस सिलसिले में जागरूक हों और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास रखते हों। इसी एहसास को पैदा करने के लिए ईश्वर के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है-

✲ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ✲ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH True Success Both Worlds

अल फलाह

हक़ीक़ी कामयाबी दोनों जहानों में

अख़्तर नवाब
✆ 9926408118



''ईश्वर पवित्र है और पवित्रता को पसंद करता है। स्वच्छता वाला है स्वच्छता को पसंद करता है। वह मेहरबान है और मेहरबानी करने को पसंद करता है। वह दाता है और देने को पसंद करता है। अतः तुम भी पवित्र व स्वच्छ रहो और अपने घर-आंगन को पवित्र व स्वच्छ रखो।''

(हदीस : तिरमिज़ी-2799)

आम तौर से यह समझा जाता है कि सफ़ाई और स्वच्छता केवल इस बात का नाम है कि इन्सान के कपड़े और शरीर के अंग देखने में साफ़-सुथरे नज़र आएं। इस्लाम की नज़र में सफ़ाई और पवित्रता की अवधारणा इससे कहीं बढ़कर है। वह बाहरी पवित्रता के साथ-साथ इन्सान के मन, हृदय, आत्मा और उसके कर्मों एवं आचरण को भी पवित्र देखना चाहता है और वह उसका तरीक़ा भी बताता है।

जिस तरह बाहरी गंदगी से बचना ज़रूरी है और उससे बचने के लिए इन्सान स्वाभाविक रूप से कोशिश भी करता है तथा गंदगी से साफ़ होने के बाद राहत व सुकून महसूस करता है, उसी तरह यह बात भी ज़रूरी है कि इन्सान भीतरी गंदगियों यानी ग़लत विचारों, ग़लत धारणाओं, ग़लत कामों, छल-कपट, झूठ, अत्याचार, फितना-फ़साद, लड़ाई-झगड़े जुआ, शराब आदि से भी बचे और अपने अन्दर अच्छी धारणाएं और अच्छे विचार पैदा करके अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र के साथ आत्म-सुधार करके पवित्रात्मा बनने की कोशिश करे, ताकि उसकी आत्मा भी राहत व सुकून महसूस करे।

हमें एक बात यह भी याद रखनी चाहिए कि कृपाशील ईश्वर हम पर अपनी कृपाओं की वर्षा करना चाहता है, तभी तो उसने हमारे लिए मार्गदर्शन का प्रबंध किया है। हमें चाहिए कि हम हर तरह की गंदगियों से अपने तन और मन को स्वच्छ रखें, ताकि लोक और परलोक में हम उसकी कृपाओं के पात्र बन सकें। याद रखिए कि ईश्वर की कृपा उन लोगों पर नहीं हुआ करती, जिनका तन भी गंदा हो और मन भी।

आशा है कि हम इस्लाम की शिक्षाओं से लाभ उठाते हुए एक स्वस्थ, पवित्र और साफ़-सुथरे समाज के निर्माण में हिस्सा ले सकेंगे तथा इस प्रकार अपने पालनहार ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करके उसकी दयालुता के पात्र बन सकेंगे। ■■

ईमान को दो भागों मे बांटा जा सकता है। आधा ईमान तो यह है कि इन्सान अपने विचारों को शुद्ध रखे और अपने चरित्र को अच्छा बनाए। बाक़ी आधा ईमान यह है कि इन्सान बाहरी गंदगियों को दूर करके अपने शरीर, कपड़े और जगह आदि की सफ़ाई पर पूरा ध्यान दे। इन्हीं दोनों प्रकार की साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता व पवित्रता से ईमान पूर्ण होता है। जो लोग अपने आपको इस प्रकार निर्मल और पाक-साफ़ रखते हैं, वे अपने पालनहार ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। याद रखिए कि ईश्वर की कृपा उन लोगों पर नहीं हुआ करती, जिनका तन भी गंदा हो और मन भी।

कविता



ऊंचाई

अटल बिहारी वाजपेयी

ऊंचे पहाड़ पर,
पेड़ नहीं लगते,
पौधे नहीं उगते,
न घास ही जमती है।
जमती है सिर्फ़ बर्फ़,
जो कफ़न की तरह सफ़ेद
और मौत की तरह ठंडी होती है
खेलती, खिलखिलाती नदी,
जिसका रूप धारण कर,
अपने भाग्य पर बूंद-बूंद रोती है।
ऐसी ऊंचाई,
जिसका परस,
पानी को पत्थर कर दे,
ऐसी ऊंचाई
जिसका दरस हीन भाव भर दे,
अभिनंदन की अधिकारी है,
आरोहियों के लिए आमंत्रण है,
उस पर झंडे गाड़े जा सकते हैं,
किंतु कोई गौरैया,
वहां नीड़ नहीं बना सकती,
न कोई थका-मांदा बटोही,
उसकी छांव में पल भर पलक ही झपका
सकता है।
सच्चाई यह है कि
केवल ऊंचाई ही काफ़ी नहीं होती,
सबसे अलग-थलग,
परिवेश से पृथक,
अपनों से कटा-बंटा,
शून्य में अकेला खड़ा होना,
पहाड़ की महानता नहीं,
मजबूरी है।
ऊंचाई और गहराई में
आकाश-पाताल की दूरी है।

जो जितना ऊंचा,
उतना एकाकी होता है,
हर भार को स्वयं ढोता है,
चेहरे पर मुस्कानें चिपका,
मन ही मन रोता है।
ज़रूरी यह है कि
ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो,
जिससे मनुष्य,
ठूंठ-सा खड़ा न रहे,
औरों से घुले-मिले,
किसी को साथ ले,
किसी के संग चले।
भीड़ में खो जाना,
यादों में डूब जाना,
स्वयं को भूल जाना,
अस्तित्व को अर्थ,
जीवन को सुगंध देता है।
धरती को बौनों की नहीं,
ऊंचे क़द के इंसानों की ज़रूरत है।
इतने ऊंचे कि आसमान छू लें,
नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बो लें,
किंतु इतने ऊंचे भी नहीं,
कि पांव तले दूब ही न जमे,
कोई कांटा न चुभे,
कोई कली न खिले।
न वसंत हो, न पतझड़,
हो सिर्फ़ ऊंचाई का अंधड़,
मात्र अकेलेपन का सन्नाटा।
मेरे प्रभु!
मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना,
ग़ैरों को गले न लगा सकूं,
इतनी रुखाई कभी मत देना।

गरिमा गिराने वाली भाषा

मंथन



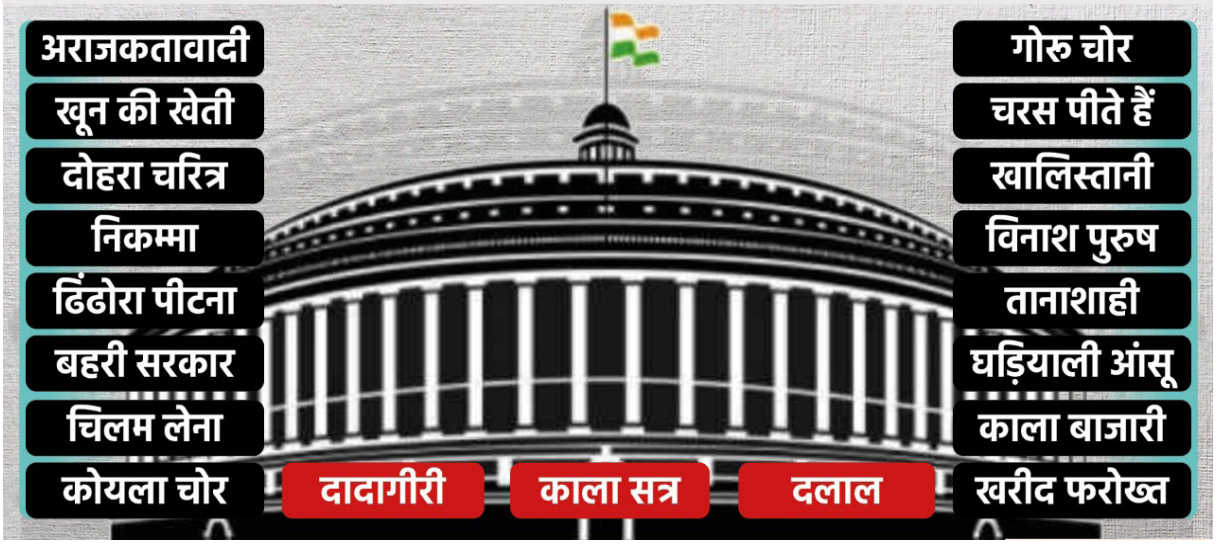
डॉ. प्रदीप कुमार

इन्सान अन्य सभी जीवों की तुलना में इसलिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके पास सोच-विचार करने की शक्ति है, साथ ही वे अपने विचारों तथा भावों को किसी भाषा या अन्य माध्यमों से अभिव्यक्त करने में समक्ष हैं। इन्सान अपने विचारों को सहेज कर आने वाले पीढ़ियों को सौंपने में भी सक्षम है। मानव समाज, जहां विभिन्नताएं हैं, वहां स्वाभाविक रूप से उनमें विचारों में भी अलग-अलग राय हो सकती है। क़ानून की नज़र में रचनात्मक आलोचना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन किसी एजेंडे या दुर्भावना से प्रेरित बेलगाम टिप्पणियों को लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता।

संसद के विशेष सत्र में चंद्रयान-3 की उपलब्धि पर बहस के दौरान भाजपा के सांसद रमेश विधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के ख़िलाफ़ जिस भाषा का प्रयोग किया, वह अत्यंत शर्मनाक और संसद की गरिमा गिराने वाला था। संसद में मर्यादाहीनता का यह मामला नया नहीं है। आज हम देखते हैं कि सार्वजनिक विमर्श की भाषा का स्तर लगातार गिर रहा है। अमर्यादित वक्तव्यों से सार्वजनिक जीवन में कटुता बढ़ रही है। हम सबको यह नहीं भूलना चाहिए कि अमर्यादित भाषा से मर्यादित सामाजिक परिवर्तन नहीं होते। लोकतंत्र में आलोचना का महत्व है, लेकिन अपशब्दों का नहीं।

समाज का गठन भाषा और परस्पर संवाद से हुआ है। सहमति और असहमति की भी एक लंबी परंपरा रही है। भाषा संस्कृति की संवाहक है। एक सभ्य समाज के निर्माण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक विचार भाषा के माध्यम से ही दूर-दूर तक प्रवाहित होते हैं। शब्दों की मधुरता भारत के राष्ट्र जीवन की अभिलाषा रही है। नेता, सांसद और विधायक समाज को प्रभावित करते हैं। उनकी भाषा कार्यकर्ताओं को प्रभावित करती है। ऐसे प्रतिष्ठित पद धारकों को

संसद में इन शब्दों के प्रयोग पर रोक है



सोच-समझ कर बोलना चाहिए।

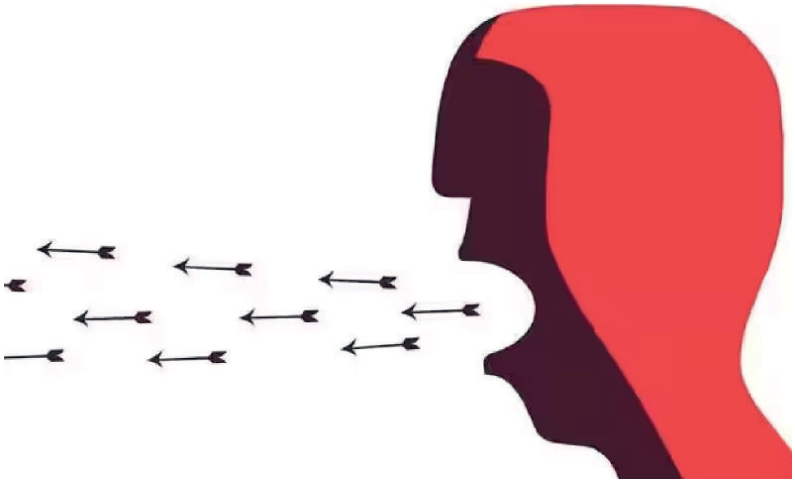
संसद की अपनी मर्यादा है, उसके नियम-क़ायदे हैं। यहां तक कि संसद की भाषा तय है। वहां बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है। वहां किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसे असंसदीय क़रार दिया गया हो। ऐसा नहीं माना जा सकता कि विधूड़ी इससे अनजान थे।

सवाल उठता है कि गाली जैसे

संसद की अपनी मर्यादा है, उसके नियम-क़ायदे हैं। यहां तक कि संसद की भाषा तय है। वहां बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है। वहां किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं किया जा सकता, जिसे असंसदीय क़रार दिया गया हो। ऐसा नहीं माना जा सकता कि बिधूड़ी इससे अनजान थे।

अपशब्दों के प्रयोग की क्या आवश्यकता है? क्या अपना पक्ष अमर्यादित शब्दों के प्रयोग से ही व्यक्त किया जा सकता है? क्या विरोध व्यक्त करने के लिए मर्यादित शब्दों का अभाव है? क्या अपशब्दों के प्रयोग में राजनीतिक संभावनाएं ज़्यादा बेहतर है? आज हम देखते हैं कि टीवी पर होने वाली बहसों में अक्सर अपशब्द सुनाई पड़ जाते हैं। कभी-कभी प्रतिभागियों में हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है जहां चहुंओर शाब्दिक अराजकता का माहौल व्याप्त है।

यह ठीक है कि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर इसका यह अर्थ क़तई नहीं कि कोई किसी के भी बारे में मनमाने ढंग से कुछ भी बोल, लिख या कह दिया जाए। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। राजशाही में इसकी अवहेलना की जाती थी, अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलने वालों को डरा-धमका कर चुप



करा दिया जाता था, लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के समुचित विकास के लिए तथा नागरिकों को सर्वांगीण विकास के मौक़े उपलब्ध कराने में अभिव्यक्ति की आज़ादी एक बड़ा पहलू है। अन्य मौलिक अधिकारों की भांति इसके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति कोर्ट जा सकता है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का बुनियादी आधार है। हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान नागरिकों को कई प्रकार के मौलिक अधिकार देता है, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी मुख्य है। हमारे मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को शामिल किए जाने का सीधा-सा अर्थ यह है कि हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। अपने ख़िलाफ़ हो रहे अन्याय का खुलकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक दायरा है। हम मर्यादा में बने रहकर ही आवाज़ उठा सकते हैं।

अन्य संवैधानिक अधिकारों की भांति ही अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के साथ भी कुछ उपबन्ध बनाए गए हैं, जो यह सीमा निर्धारित करते हैं कि किस हद तक इस अधिकार का उपयोग मर्यादापूर्ण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, मगर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के साथ। यदि किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रभाव देश की एकता अखंडता और सम्प्रभुता को प्रभावित करने वाला हो, तो अथवा सामाजिक सौहार्द, न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हो, तो उसे प्रतिबंधित किया गया

है। बोलने की आज़ादी के नाम पर किसी को गाली देने अथवा अपमानित करने की वकालत भारतीय संविधान नहीं करता है।

अभिव्यक्ति की आज़ादी रचनात्मक आलोचना करने के लिए दी गई है, न कि अविवेकपूर्ण और पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी कहने के लिए। वर्तमान समय में इंटरनेट आधारित सामाजिक मंचों पर मनमाने बयानों, अविवेकपूर्ण, अशोभनीय और भड़काऊ टिप्पणियों आदि को लेकर लंबे समय से चिंता जतायी जाती रही है। इसे लेकर देश की अदालतें भी कुछ मौक़ों पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर चुकी हैं, लेकिन स्पष्ट है कि राजनेताओं ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया।

अपशब्दों के प्रयोग से घृणा बढ़ती है। सामाजिक मंचों पर अक्सर बहुत सारे लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का बेजा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। जब से राजनीतिक दलों ने इंटरनेट आधारित सामाजिक मंचों का उपयोग अपने राजनीतिक प्रचार-प्रसार के लिए करना शुरू किया है, तब से वहां मनमानी कुछ अधिक ही बढ़ गई है। वहां राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं भाषा और अभिव्यक्ति की सारी मर्यादाएं तोड़ती नज़र आती हैं। डिजिटल माध्यमों पर चल रहे समाचार चैनलों की ज़ुबानें भी बेलगाम होती जा रही हैं। हमारी त्रासदी यह है कि हमने कथित भावनाओं को विवेक से अधिक तरजीह दे दी है। विवेक की यह उपेक्षा हमें बहुत भारी पड़ रही है। हम अभी भी न तो भेदभाव के चंगुल से मुक्त हो पा रहे हैं, न सांप्रदायिकता के जाल से।

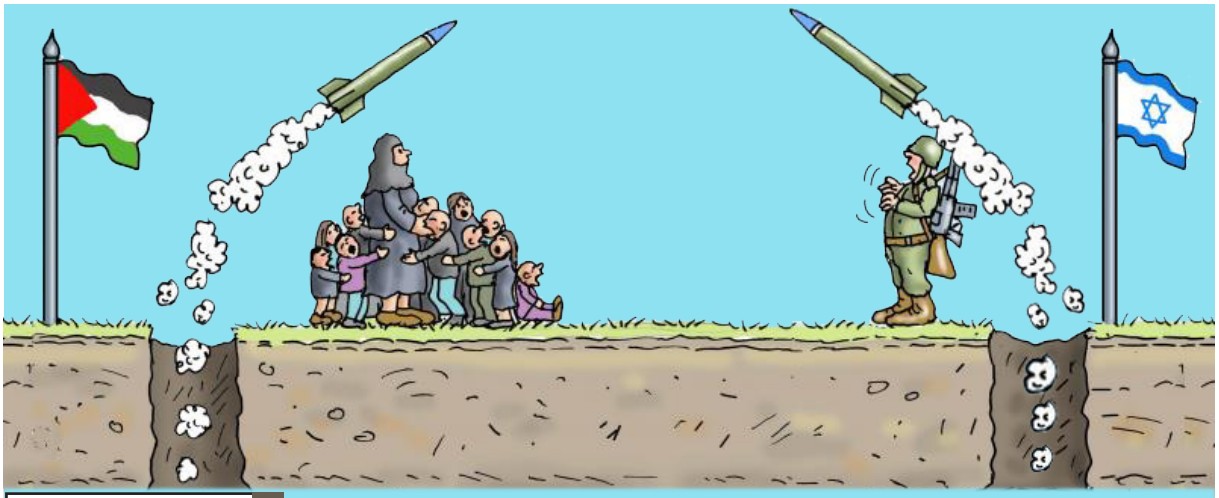
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि विचारों का खुला प्रवाह विकास की राह खोलता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध किसी विवेकशील समाज की पहचान नहीं है। जनतांत्रिक मूल्यों का तक़ाज़ा है कि हर नागरिक को अपनी सोच को प्रकट करने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जनतांत्रिक आदर्श हमें यह भी सिखाते हैं कि अपनी बात कहने से पहले उसे विवेक के तराज़ू पर तोलना चाहिए। अभिव्यक्ति सार्थकता रचनात्मक आलोचना एवं विवेकपूर्ण विरोध में निहित है, न कि अविवेकपूर्ण ढंग से, निराधार, पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर कुछ भी बोल देने में। बिना विवेक के की गई आलोचना समाज में विकृतियां ही पैदा करती है। ■■

समाज का गठन भाषा और परस्पर संवाद से हुआ है। सहमति और असहमति की भी एक लंबी परंपरा रही है। भाषा संस्कृति की संवाहक है। एक सभ्य समाज के निर्माण में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक विचार भाषा के माध्यम से ही दूर-दूर तक प्रवाहित होते हैं। शब्दों की मधुरता भारत के राष्ट्र जीवन की अभिलाषा रही है। नेता, सांसद और विधायक समाज को प्रभावित करते हैं। उनकी भाषा कार्यकर्ताओं को प्रभावित करती है। ऐसे प्रतिष्ठित पद धारकों को सोच-समझ कर बोलना चाहिए।

Name: KANTI
Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

कान्ति के वे सब्सक्राइबर जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है, बराय मेहरबानी इस QR Code के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

नोट : अदायगी के बाद स्क्रीनशॉट इस नम्बर पर (9818799223) ज़रूर भेजें।



समसामयिक

नईम अलहिन्दी

युद्ध का विकल्प

पश्चिम एशिया एक बार फिर से अशांति और अस्थिरता से घिर गया है। इसराईल-फ़िलिस्तीन का मुद्दा व्यापक क्षेत्रीय विभाजक रेखाओं में उलझा हुआ है। आधी सदी से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका है। वर्ष 1948 के बाद से जब से इसराईल का गठन हुआ है तभी से वह लगातार अपनी भूमि का विस्तार कर रहा है। विडम्बना यह है कि संयुक्त राष्ट्र सहित दुनिया के अधिकतर देश इसराईल के इस कृत्य को ग़ैर क़ानूनी मानते हैं, लेकिन अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश इसराईल के पक्ष में सदैव खड़े रहते हैं।

सात अक्टूबर को फ़लीस्तीनी संगठन हमास द्वारा इसराईल पर किए गए हमले के बाद से दुनिया उसकी निंदा कर रही है। यहां मक़सद हमास के हमले और इसराईल की बर्बता के इतिहास के विस्तार में जाना नहीं है, लेकिन इस समस्या में कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, जिन पर विचार किए बिना कोई धारणा विकसित करना नादानी होगी। सवाल यह है कि वर्ष 1948 में इसराईल के पास जितनी भूमि थी उसके मुक़ाबले आज कितनी है? यहूदी कॉलोनियों का अनाधिकृत विस्तार कैसे होता जा रहा है? फ़िलिस्तीनियों को क्यों उनकी ही ज़मीन से बेदखल कर एक निश्चित सीमा के भीतर सीमित कर दिया गया? ग़ाज़ा पट्टी क्षेत्र में 21 लाख फ़िलिस्तीनियों को उनके ही देश में शरणार्थी क्यों बना दिया गया? सवाल यह भी है कि मध्यपूर्व को लेकर हाल में जो समझौते हुए, उनमें फ़िलिस्तीन का हित दरकिना होता क्यों दिखा?

युद्ध मानवीय पीड़ा राजनीतिक उथल-पुथल और आध्यात्मिक मोहभंग की विनाशकारी विरासत के अलावा और कुछ नहीं छोड़ता। यदि हम वास्तव में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और इसके असल लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हमें इसका विकल्प खोजना होगा। युद्ध के रास्ते पर चलकर हम शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण नहीं कर सकते।

आज दुनिया के तमाम देशों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं और वे सत्य और न्याय से अधिक अपने व्यापारिक रिश्तों को अहमियत देते देखे जा रहे हैं। फ़िलिस्तीन की ज़मीन इसराईल ने हथिया रखी है। इसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी सुलझाने का प्रयास किया गया, मगर इसराईल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। कोई भी लोकतांत्रिक देश इस तरह किसी देश के भूभाग पर क़ब्जा करने के प्रयासों

को उचित नहीं ठहरा सकता। इसीलिए भारत भी शुरू से फ़िलिस्तीन का पक्षधर रहा है। अब भी वह इसराईल के साथ ज़रूर है, मगर फ़िलिस्तीन के हक़ के ख़िलाफ़ नहीं है।

हम जानते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया युद्ध और हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन हमने देखा है कि इस दुनिया के सभ्य कहे जाने वाले देशों ने किस तरह युद्ध और हिंसा से धरती को लहुलुहान किया है। दूर

दुष्प्रभाव पड़ा है। दुनिया के कई देशों को इसका नुक़सान उठाना पड़ रहा है। अब यदि मध्यपूर्व में भी युद्ध के जटिल हालात खड़े होते हैं, तो उसका हासिल सिर्फ़ एक नई त्रासदी ही होगी।

मध्य-पूर्व में युद्ध और हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या युद्ध किसी समस्या का समधान हो सकता है? युद्ध तो ख़ुद अपने आप में एक समस्या, वह किसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है?

आधुनिक मनुष्य ने विश्व को भविष्य के लिए अति-प्रेरणादायक द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है वह वैज्ञानिक सफलता के नित नए सोपान चढ़ रहा है। उसने ऐसे उपकरण व मशीनें बनाई हैं जो सोचती हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में मददगार सिद्ध हो रही हैं। यह आधुनिक मनुष्य की वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति की एक अद्भुत तस्वीर है। इन शानदार प्रगतियों और आगामी असीमित प्रगतियों के



बैठकर युद्ध की बातें करना तथा युद्ध की भयावहता और उसकी पीड़ा को झेलना और उसे महसूस करना दोनों अलग-अलग बातें हैं।

युद्ध से केवल प्रभावित इलाक़ों के लोग ही संकट में नहीं आते। हाल में ही हमने देखा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के नतीजे में केवल प्रभावित इलाकों के नागरिक ही मुश्किल में नहीं आए, बल्कि अनाज की आपूर्ति से लेकर अन्य संबंधित मामलों और कारोबार पर भी इसका

सवाल यह भी है कि आख़िर युद्ध का विकल्प क्यों?

युद्ध मानवीय पीड़ा राजनीतिक उथल-पुथल और आध्यात्मिक मोहभंग की विनाशकारी विरासत के अलावा और कुछ नहीं छोड़ता। यदि हम वास्तव में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और इसके असल लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो हमें इसका विकल्प खोजना होगा। युद्ध के रास्ते पर चलकर हम शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण नहीं कर सकते।

बावजूद उसमें कुछ बुनियादी कमी है। उसके भीतर एक प्रकार की कमज़ोरी है जो वैज्ञानिक व तकनीकी विकास के बिल्कुल विपरीत है।

हम भौतिक रूप से जितने अमीर हो गए हैं, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उतने ही ग़रीब हो गए हैं। हमने पक्षियों की तरह हवा में उड़ना और मछलियों की तरह समुद्र में तैरना तो सीख लिया है, लेकिन भाइयों की तरह एक साथ रहने की सरल कला नहीं सीख पाए। हर

मनुष्य दो क्षेत्र में रहकर जीवन जीता है आंतरिक और बाह्य। आंतरिक कला, साहित्य, नैतिकता और धर्म में व्यक्त आध्यात्मिक लक्ष्यों का क्षेत्र है, जबकि बाह्य उपकरणों, तकनीकों, तंत्रों और यंत्रों का परिसर है, जिसके ज़रिये हम अपना जीवन यापन करते हैं।

आज हमारी मूल समस्या यह है कि हमने अपने आंतरिक क्षेत्र को बाहरी में मिला दिया है। हमने जीवन जीने के साधनों को जीवन के मूल उद्देश्यों से दूर कर दिया है। और यह आधुनिक मनुष्य के सामने खड़ी सबसे गंभीर व भयावह समस्या है। यदि हमें जीवित रहना है या जीवन के अस्ल मक़सद को पाना है तो हमें अपने नैतिक और आध्यात्मिक पिछड़ेपन या कमी को दूर करना होगा।

आध्यात्मिक और नैतिक कमी की यह समस्या जो आधुनिक मनुष्य की मुख्य दुविधा है, हमारे लिए तीन बड़ी समस्याएं खड़ी करती हैं, जो मनुष्य के नैतिक पतन से उत्पन्न होती हैं। इनमें से प्रत्येक समस्या अलग-अलग दिखाई देने पर भी एक-दूसरे से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। इन समस्याओं को जातीय अन्याय या हिंसा, ग़रीबी और युद्ध के रूप में देखना चाहिए।

यदि हमें इन समस्याओं से निपटना है, तो अहिंसा व प्रेम का रास्ता चुनना पड़ेगा। नैतिक कमी को पूरा करने में अहिंसा व प्रेम एक शक्तिशाली एवं न्यायसंगत हथियार हैं। टूटे हुए समुदायों को फिर से जोड़ने का यही एकमात्र साधन हैं।

नफ़रत के लगातार बढ़ते ज्वार ने इतिहास के महासागर को अशांत बना दिया है। ऐसे में प्रेम व अहिंसा के माध्यम से ही इसे शांत किया जा सकता है। प्रेम ही दुनिया की समस्याओं के समाधान की कुंजी है।

आज मनुष्य प्रगति की सीढ़ियां चढने के साथ ही अपने नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को खोता जा रहा है, जिसके कारण आज उसके सामने विभिन्न तरह की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। चाहे जातीय हिंसा हो, ग़रीबी हो, युद्ध हो या अन्य कोई निजी, सामाजिक या वैश्विक समस्या। इन्हें दूर करने का एक ही साधन है, अहिंसा व प्रेम। अंहिंसा व प्रेम में सभी संकटों से निपटने की शक्ति है।

■■

युद्ध से केवल प्रभावित इलाक़ों के लोग ही संकटे में नहीं आते। हाल में ही हमने देखा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के नतीजे में केवल प्रभावित इलाकों के नागरिक ही मुश्किल में नहीं आए, बल्कि अनाज की आपूर्ति से लेकर अन्य संबंधित मामलों और कारोबार पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। दुनिया के कई देशों को इसका नुक़सान उठाना पड़ रहा है। अब यदि मध्यपूर्व में भी युद्ध के जटिल हालात खड़े होते हैं, तो उसका हासिल सिर्फ़ एक नई त्रासदी ही होगी।



स्वस्थ भारत का सपना

सरोकार



जितेंद्र गौतम

देश के एक नामचीन अख़बार में गत दिनों एक लेख पढ़ रहा था, संपादकीय पृष्ठ पर छपे इस लेख का शीर्षक था "डेढ़ करोड़ मर गए, कोई शोर नहीं" लेख में बताया गया है कि वर्ष 2000 से 2022 के बीच भारत में कैंसर से डेढ़ करोड़ से भी अधिक लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद कैंसर भारत में अधिसूचित बीमारियों की श्रेणी में शामिल नहीं है और न सरकार की ऐसी कोई योजना दिखाई देती है। इस लेख के लेखक रवि प्रकाश जी लिखते हैं कि वे ख़ुद लंग कैंसर के अंतिम यानी चौथे स्टेज के मरीज़ हैं। जनवरी 2021 में जब उनका कैंसर डायग्नोस हुआ, तब उनकी आयु मात्र 45 वर्ष थी अब उनकी आयु 47 वर्ष है।

भारत के संदर्भ में बात करें, तो यहां कैंसर से होने वाली मौतें असामान्य हैं। अमेरिकन कैंसर सोसायटी के जर्नल ग्लोबल ऑन्कॉलजी में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक़, साल 2000 से 2019 के बीच भारत में कैंसर से 1 करोड़ 28 लाख से भी अधिक लोगों की मौतें हुईं। वहीं, भारत सरकार के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक़, साल 2020 से 2022 के बीच भारत में कुल 23 लाख 67 हज़ार 990 लोगों की कैंसर से जान गई। इसके बावजूद भारत सरकार के पास कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित करने की अपनी ही संसदीय समिति की सिफ़ारिशों वाली फ़ाइल सितम्बर 2022 से पेंडिंग पड़ी है।



इस सबके बीच मौत के ये आंकड़े शोर कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं चेते, तो आने वाला वक़्त भयावह होने वाला है। चौथे स्टेज के कैंसर मरीज़ों की टारगेटेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की अधिकांश दवाएं लाखों की क़ीमत वाली हैं। किसी-किसी दवा की पूरे साल की क़ीमत एक करोड़ से भी अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय के मद्देनज़र क्या आम भारतीय इन दवाइयों को ख़रीद सकता है? सरकार को चाहिए कि देश के प्रमुख कैंसर अस्पतालों से डेटा कलेक्ट कराया जाए और देखा जाए कि अच्छी दवा उपलब्ध होने के बावजूद लोग उसे क्यों नहीं ख़रीद पा रहे? जानकारों का कहना है कि भारत की सिर्फ़ 10 फ़ीसदी आबादी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। इनमें से भी अधिकतर का औसतन कवरेज सिर्फ़ 4 लाख रुपये है। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपये का कवरेज देती है, लेकिन इसमें कैंसर की टारगेटेड थेरेपी



और इम्यूनोथेरेपी की अधिकतर दवाएं शामिल नहीं हैं।

क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं कि वह अख़बारों में विज्ञापन देकर बताए कि कैंसर के इलाज की कौन-कौन-सी दवा उनकी इस योजना के तहत मिल सकती है? तथ्य यह है कि टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी तो छोड़िए, कीमोथेरेपी की भी कुछ दवाओं की कवरेज आयुष्मान योजना के तहत नहीं है। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर तक नहीं हैं। देश की ज़्यादातर आबादी कैंसर के इलाज के लिए अपना शहर छोड़कर बाहर के शहरों की यात्राएं करती है। नई दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हम जी-20 देशों में नीचे से तीसरे यानी 18वें नंबर पर हैं।

बात केवल कैंसर की नहीं है, यदि गंभीरता से विचार करें तो हमारे देश का पूरा स्वास्थ्य ढांचा ही बीमार है। ऐसे में देश की सेहत को लेकर गंभीर बहस अनिवार्य है। किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उस देश के स्वस्थ नागरिकों पर निर्भर करता है। स्वस्थ नागरिक ही देश के विकास और ख़ुशहाली में अच्छा योगदान दे सकते हैं।

बात केवल कैंसर की नहीं है, यदि गंभीरता से विचार करें तो हमारे देश का पूरा स्वास्थ्य ढांचा ही बीमार है। ऐसे में देश की सेहत को लेकर गंभीर बहस अनिवार्य है। गत वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में चिंताजनक तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के ज़िला अस्पतालों में प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन मात्र 24 बिस्तर ही उपलब्ध हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 और बीते वर्ष हुए आर्थिक सर्वेक्षण, दोनों ने वर्ष 2025 तक जीडीपी का 2.53 प्रतिशत, राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय लक्ष्य की सिफ़ारिश की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने यह भी प्रस्तावित किया था कि राज्य 2020 तक अपने स्वास्थ्य व्यय को आठ प्रतिशत या उससे अधिक तक बढ़ा दें। फिर भी वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सरकारी स्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.5 प्रतिशत ही रहा। इससे भी बदतर यह कि इस वित्तीय वर्ष में केंद्र और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपना स्वास्थ्य बजट कम ही रखा है।

सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कुल सामान्य सरकारी व्यय वित्त वर्ष 2019-20 में 31.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 37.6 प्रतिशत हो गया, पर स्वास्थ्य व्यय 1.3 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत तक ही रहा।

भारत के लोगों और नीति-निर्माताओं के लिए इन आंकड़ों का क्या मतलब है?

गत वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में चिंताजनक तथ्य सामने आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर के ज़िला अस्पतालों में प्रति एक लाख की आबादी पर औसतन मात्र 24 बिस्तर ही उपलब्ध हैं। नीति आयोग की यह रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है।



देश भर में ज़िला अस्पतालों की हालत ख़स्ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनेक रिपोर्ट से लेकर इस क्षेत्र में हुए अनेक सर्वेक्षण यह बताते हैं कि हमारी सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था सुधरने की बजाए और बदहाल होती जा रही है। देश भर के अधिकतर राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद ख़राब है।

नीति आयोग की यह रिपोर्ट बताती है कि देश में ऐसे 15 राज्य हैं जहां अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या तय मानक से भी कम है। उपलब्ध बिस्तरों का आंकड़ा बिहार में एक लाख आबादी पर 6, झारखंड में 9, तेलंगाना में 10, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 13, महाराष्ट्र में 14, जम्मू और कश्मीर में 17, असम, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 18, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 19, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज़िला अस्पतालों में मरीज़ों के लिए बिस्तरों की संख्या मात्र 20 है। इसी प्रकार डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता और उनका अनुपात भी तय मानकों के अनुसार बेहद निराशाजनक है।

बात यदि देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जाए तो वहां स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है। उत्तर प्रदेश में एक लाख की आबादी पर मात्र 13 बेड हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानना है कि एक हज़ार की आबादी पर कम से कम 5 बेड की सुविधा होनी चाहिए। यह इतनी बड़ी आबादी के लिहाज़ से ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है।

यहां लोगों को इलाज के लिए पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर से परामर्श व दवा लेने तक लंबी कतारों में लगना पड़ता है। बुख़ार, वायरल आदि बीमारियों के मरीज़ों की संख्या बढ़ने पर लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पाता। सामान्य दिनों भी यहां अस्पतालों और मरीज़ों की बदहाली को आसानी से देखा जा सकता है। अक्सर मरीज़ों को बेड उपलब्ध न होने के कारण भटकना पड़ता है और जान भी गंवानी पड़ती है। इस मामले में बिहार की स्थिति तो और भी दयनीय है।

सभी जानते हैं कि देश भर में सबसे अधिक भार सरकारी अस्पतालों पर रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा सरकारी चिकित्सा तंत्र दम तोड़ने लगा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उपकेंद्रों की हालत देख-रेख के अभाव और चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते बदतर हो चुकी है। कहीं पर स्टाफ़ ही नहीं हैं, कहीं हैं तो वो केवल मरहम पट्टी के अलावा और कुछ नहीं करते।

ऐसे में जब स्वास्थ्य केंद्र ही बीमार हैं तो भला बीमारों का इलाज कौन करे? निजी अस्पतालों के कारण सक्षम एवं संपन्न लोगों को तो गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन ग़रीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसलिए वर्तमान समय में यह ज़रूरी है कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए और एक ऐसी स्वास्थ्य नीति बनाई जाए जो किसी भी आपात स्थिति में चिकित्सा संबंधी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो, जो बदलते परिवेश में संक्रमण के परिणामस्वरूप फैलने वाली बीमारियों से लोगों की रक्षा कर सके। नीति आयोग के ये ताज़ा आंकड़े हमें बताते हैं कि देश के स्वास्थ्य तंत्र की इस बदहाली को दूर किया जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि स्वस्थ भारत का सपना साकार हो सके। ■■



सत्यम् कि म् प्रमाणम्!

(सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं)

प्रकाश स्तंभ



संपादन प्रभाग

सत्य हमेशा स्पष्ट होता है। उसके लिए किसी तरह की दलील की ज़रूरत नहीं होती। यह बात और है कि हम उसे न समझ पाएं या कुछ लोग हमें इससे दूर रखने का कुप्रयास करें। मानवतावादी सत्यगवेषी विद्वानों ने इस्लाम के अंतिम पैग़म्बर (संदेष्टा) हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के बारे में ऐसे अकाट्य प्रमाण पेश कर दिए, जिससे सत्य खुलकर सामने आ गया है।

धर्म एक ऐसा क्षेत्र है, जहां प्रायः बुद्धि और संवेदन के बीच संघर्ष पाया जाता है। इस लेख का विषय एक विशेष धर्म के सिद्धांतों से संबंधित है। वह धर्म ऐतिहासिक है और उसके पैग़म्बर का व्यक्तित्व भी ऐतिहासिक है। यहां तक कि सर विलियम म्यूर जैसा इस्लाम-विरोधी आलोचक भी क़ुरआन के बारे में कहता है, 'शायद संसार में (क़ुरआन के अतिरिक्त) कोई अन्य पुस्तक ऐसी नहीं है, जो बारह शताब्दियों तक (अब 'चौदह शताब्दियों तक...) अपने विशुद्ध मूल के साथ इस प्रकार सुरक्षित हो।'

इसमें इतना और बढ़ाया जा सकता है कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ही एक ऐसे अकेले ऐतिहासिक महापुरुष हैं, जिनके जीवन की एक-एक घटना को बड़ी सावधानी के साथ बिल्कुल शुद्ध रूप में बारीक से बारीक विवरण के साथ आने वाली नस्लों के लिए सुरक्षित कर लिया गया है (''सारे धार्मिक व्यक्तियों में सबसे अधिक ऐतिहासिक''इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका) उनका जीवन और उनके कारनामे रहस्य के परदों में छुपे हुए नहीं हैं। उनके बारे में सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी को सिर खपाने और भटकने की ज़रूरत नहीं। सत्य रूपी मोती प्राप्त करने के लिए ढेर सारी रास से भूसा उड़ाकर चन्द दाने प्राप्त करने जैसे कठिन परिश्रम की ज़रूरत नहीं है।

इतिहासकारों के अनुसार मुहम्मद (सल्ल.) का जन्म अरब के रेगिस्तान में 20 अप्रैल, सन् 571 ई. में हुआ। 'मुहम्मद' का अर्थ होता है 'जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो।' जब आप पैदा हुए अरब उपमहाद्वीप केवल एक सूना रेगिस्तान था। मुहम्मद (सल्ल.) की सशक्त आत्मा ने इस सूने रेगिस्तान से एक नए संसार का निर्माण किया, एक नए जीवन का, एक नई संस्कृति और नई सभ्यता का। आपके द्वारा एक ऐसे नए राज्य की स्थापना हुई, जो मराकश से लेकर इंडीज़ तक फैला और जिसने तीन महाद्वीपों-एशिया, अफ़्रीक़ा और यूरोप के विचार और जीवन पर अपना अभूतपूर्व प्रभाव डाला।

प्रोफ़ेसर बीवान 'केम्ब्रिज मेडिवल हिस्ट्री' (Cambridge Medieval History) में लिखता है-

''इस्लाम और मुहम्मद के संबंध में 19वीं सदी के आरंभ से पूर्व यूरोप में जो पुस्तकें प्रकाशित हुईं उनकी हैसियत केवल साहित्यिक कौतूहलों की रह गई है।''

वास्तव में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन-चरित्र के लिखने की समस्या बहुत ही आसान हो गई है, क्योंकि अब हम भ्रामक ऐतिहासिक बातों का सहारा

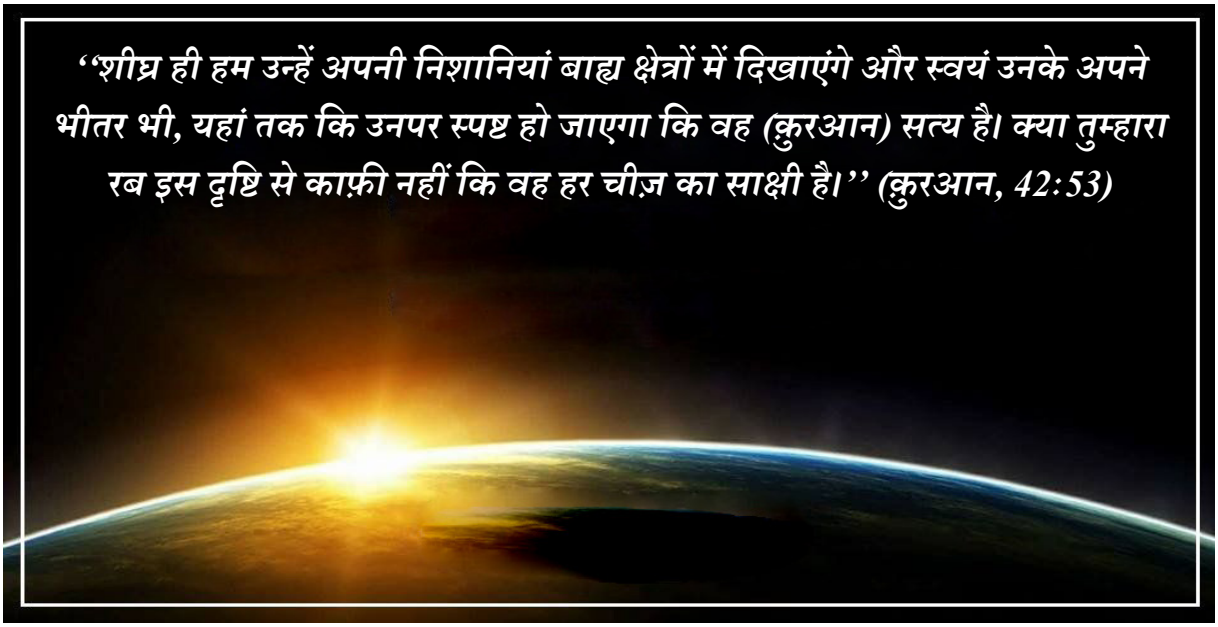
लेने के लिए मजबूर नहीं हैं और इस्लाम के संबंध में भ्रामक निरूपणों के स्पष्ट करने में हमारा समय बर्बाद नहीं होता।

मिसाल के तौर पर 'इस्लामी सिद्धांत और तलवार' की बात किसी उल्लेखनीय क्षेत्र में ज़ोरदार अन्दाज़ में सुनने को नहीं मिलती। इस्लाम का यह सिद्धांत कि 'धर्म के मामले में कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं' (क़ुरआन, 2:256), आज सब पर भली-भांति विदित है। विश्वविख्यात इतिहासकार गिबन ने कहा है, ''मुसलमानों के साथ यह ग़लत धारणा जोड़ दी गई है कि उनका यह कर्तव्य है कि वे हर धर्म का तलवार के ज़ोर से उन्मूलन कर दें।' इस इतिहासकार ने कहा है कि यह निराधार आरोप क़ुरआन से भी पूरे तौर पर खंडित हो जाता है और मुस्लिम विजेताओं के इतिहास तथा ईसाइयों की पूजा-पाठ के प्रति उनकी ओर से क़ानूनी और सार्वजनिक उदारता का जो प्रदर्शन हुआ है उससे भी यह आरोप तथ्यहीन सिद्ध होता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन की सफलता का श्रेय तलवार की चोट के बजाय उनके असाधारण नैतिक बल को जाता है।

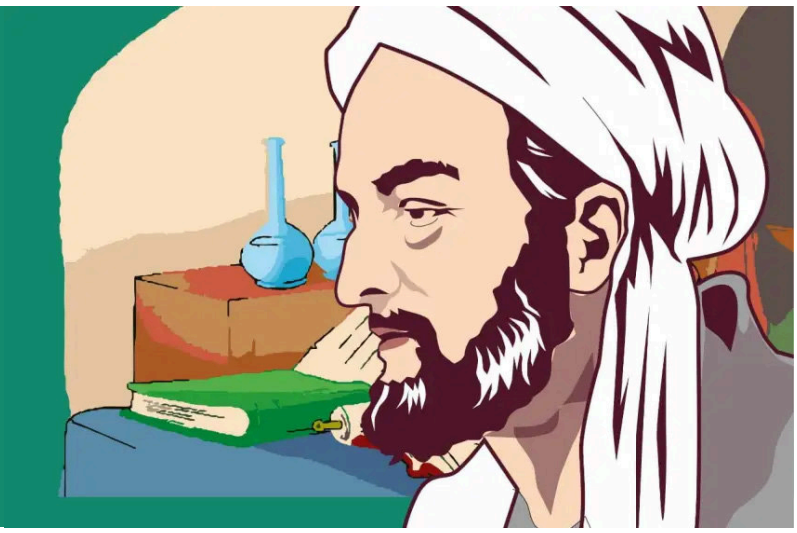
कभी-कभी यह दावा किया जाता है कि धर्म पूर्णतः एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म में पूरे जगत को अपने घेरे में ले लेने की प्रवृत्ति पाई जाती है, चाहे उसका संबंध प्रत्यक्ष से हो या अप्रत्यक्ष चीज़ों से। वह किसी न किसी तरह और कभी न कभी हमारे हृदय, हमारी आत्माओं और हमारे मन और मस्तिष्क में अपनी राह बना लेता है। चाहे उसका संबंध हमारे चेतन से हो, अवचेतन या अचेतन से हो या किसी ऐसे हिस्से से हो जिसकी हम कल्पना कर सकते हों।

मनुष्य समाज में रहता है और हमारा जीवन चाहे-अनचाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे लोगों के जीवन से जुड़ा होता है। हम एक ही धरती का अनाज खाते हैं, एक ही जल-स्रोत का पानी पीते हैं और एक ही वायुमंडल की हवा में सांस लेते हैं। ऐसी दशा में भी, जबकि हम अपने निजी विचारों व धार्मिक धारणाओं पर क़ायम हों, अगर हम थोड़ा-बहुत यह भी जान लें कि हमारा पड़ोसी किस तरह सोचता है, उसके कर्मों के मुख्य प्रेरणा-स्रोत क्या हैं? तो यह जानकारी कम से कम अपने माहौल के साथ तालमेल पैदा करने में सहायक बनेगी। यह बहुत ही अच्छी बात है कि आदमी को संसार के धर्मों के बारे में उचित भावना के साथ जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपसी जानकारी और मेल-मिलाप को बढ़ावा मिले और हम बेहतर तरीक़े से अपने क़रीब या दूर के लोगों का सम्मान कर सकें।

हम सबके विचार वास्तव में उतने बिखरे नहीं हैं जैसा कि वे ऊपर से दिखाई देते हैं। वास्तव में वे कुछ केन्द्रों के गिर्द जमा होकर स्टाफ़िक़ जैसा रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें दुनिया के महान धर्मों और जीवंत आस्थाओं के रूप में देखते हैं, जो धरती में लाखों ज़िन्दगियों का मार्गदर्शन करते और उन्हें प्रेरित करते हैं। अतः अगर हम इस संसार के आदर्श नागरिक बनना चाहते हैं तो यह हमारी ज़िम्मेदारी भी है कि हम उन महान धर्मों और उन दार्शनिक सिद्धांतों को जानने की अपने बस भर कोशिश करें, जिनका मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव है। ■■



इब्ने सीना : एक ज्ञान पुंज



इबारत

संपादन प्रभाग

इब्ने सीना एक फ़ारसी वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम अबू अली अल-हुसैन है। इन्हें इस्लामी स्वर्ण युग के सबसे महत्वपूर्ण विचारकों और लेखकों में से एक माना जाता है । इब्ने सीना का जन्म सन् 980 ईस्वी में बुख़ारा के समीप एक गांव अफ़साना में हुआ था, जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। उस समय यह क्षेत्र ईरानी समानीद साम्राज्य के अंतर्गत आता था। इब्ने सीना के पिता, अब्दुल्लाह एक प्रसिद्ध विद्वान थे और रियासत के किसी इलाक़े के गवर्नर भी थे। उनका घर उस इलाक़े के विद्वानों के लिए एक बैठक स्थल था। इस प्रकार सीना को कम उम्र से विभिन्न विषयों पर बहस और चर्चाओं को खुलकर सुनने का मौक़ा मिला। दस वर्ष की आयु में इन्होंने पवित्र क़ुरआन को याद कर लिया था।

इब्ने सीना को लैट्रिन भाषा में एविसेना (Avicenna) के नाम से जाना जाता है। इब्ने सीना द्वारा लिखी गई 450 किताबों में से 240 किताबें अभी मौजूद हैं, जिनमें 150 दर्शनशास्त्र पर और 40 किताबें चिकित्सा विज्ञान पर आधारित हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबें 'द बुक ऑफ़ हीलिंग' (किताब अल-शिफ़ा) और 'द केनन ऑफ़ मेडिसिन' (अल-क़ानून फ़ी अल-तिब्ब) है। 'द बुक ऑफ़ हीलिंग' जैसा कि इस किताब का शीर्षक है, यह किताब चिकित्सा पर आधारित न होकर एक दार्शनिक और वैज्ञानिक इन्साइक्लोपीडिया है। यह किताब चार भागों में विभाजित है, पहला भाग 'तर्क' दूसरा भाग 'प्राकृतिक विज्ञान' तीसरा भाग 'गणित' और चौथा भाग 'तत्व मीमांसा' (Metaphysics) है। 'द केनन ऑफ़ मेडिसिन' एक मेडिकल इन्साइक्लोपीडिया है।

इब्ने सीना को लैट्रिन भाषा में एविसेना (Avicenna) के नाम से जाना जाता है। इब्ने सीना द्वारा लिखी गई 450 किताबों में से 240 किताबें अभी मौजूद हैं, जिनमें 150 दर्शनशास्त्र पर और 40 किताबें चिकित्सा विज्ञान पर आधारित हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबें 'द बुक ऑफ हीलिंग' (किताब अल-शिफा) और 'द केनन ऑफ़ मेडिसिन' (अल-क़ानून फ़ी अल-तिब्ब) है। 'द बुक ऑफ हीलिंग' जैसा कि इस किताब का शीर्षक है, यह किताब चिकित्सा पर आधारित न होकर एक दार्शनिक और वैज्ञानिक इन्साइक्लोपीडिया है।

'द केनन का मेडिसिन' यूरोप और इस्लामी दुनिया में कई विश्वविद्यालय में प्रारंभिक आधुनिक काल तक एक मानव चिकित्सा पाठ्य-पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती रही। यूनानी चिकित्सा में आज भी यह एक महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब में तपेदिक रोग के संक्रामक स्वभाव की पहचान करना, मिट्टी और पानी के माध्यम से बीमारियों का

फैलना और किसी व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य और उसके मानसिक स्वास्थ्य के बीच संबंध तथा मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है। इब्ने सीना ने 760 ऐसी दवाओं को सूचीबद्ध किया जो उस समय चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध थीं।

उन्होंने फ़ारसी में नब्ज़ (Pulse) के विषय पर एक संक्षिप्त पुस्तक भी लिखी।



इब्ने सीना पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने शल्य चिकित्सा को चिकित्साशास्त्र की स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित करने का तर्क दिया। सर्वप्रथम इब्ने सीना द्वारा यह बताया गया कि प्लेग महामारी चूहों द्धारा फैलती है।

इब्ने सीना ने खगोल विज्ञान में इस तत्व को स्पष्ट किया कि शुक्र ग्रह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से ज़्यादा क़रीब है। इब्ने सीना ने अपनी किताब "किताब अल-शिफ़ा'' में मौसम विज्ञान के बारे में भी लिखा। वहां उन्होंने बादलों और बारिश के निर्माण, इंद्रधनुष, धूमकेतु और उल्कापात के कारणों पर चर्चा की।

सन् 1965 ईस्वी में टॉलमैन और गुडफील्ड नाम के दो वैज्ञानिकों ने भूविज्ञान में इब्ने सीना के योगदान पर टिप्पणी की थी कि इब्ने सीना ने 1000 ईस्वी में पर्वतों की श्रृंखला की उत्पत्ति पर आधारित एक अवधारणा प्रस्तुत की थी जो ईसाई दुनिया में 800 साल बाद भी प्राथमिक स्तर पर है।

दर्शन और चिकित्सा विज्ञान के अतिरिक्त इब्ने सीना ने खगोल विज्ञान, एल्केमी, भूगोल, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, इस्लामी धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित और भौतिकी में भी अध्ययन कार्य किया। उनकी अन्य प्रमुख किताबों में 'किताब अल-निजात' (द बुक ऑफ़ देलीवेरांस), 'अल-इशरात वल तमभीआत' (द बुक ऑफ़ डिरेक्टिव्स एंड ट्रीटमेंट्स), 'यूयन अल-हिकमह' (फाउंडेशन ऑफ़ विजडम) और 'किताब अल-हिदायह' (द बुक ऑफ़ गाइडेंस) शामिल हैं। जून 1037 ईस्वी में, 58 वर्ष की आयु में इब्ने सीना का निधन हो गया। उन्हें हमदान में दफ़नाया गया जो कि वर्तमान में ईरान में है।

इब्ने सीना की किताबों को बारहवीं शताब्दी के मध्य और तेरहवीं शताब्दी के बीच लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया था। जिससे यह महत्वपूर्ण ज्ञान पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों को उपलब्ध हो पाया। सन 1980 ईसवी में सोवियत संघ (जबकि उस समय बुखारा सोवियत संघ में था) ने कलात्मक चित्रों के साथ विभिन्न स्मारक टिकटों को जारी करके और सोवियत विद्वानों द्वारा मानव विज्ञान अनुसंधान के आधार पर इब्ने सीना को पर्याप्त सम्मान देकर उनके जन्म की हज़ारवीं वर्षगांठ मनाई थी।

इब्ने सीना की किताबों को बारहवीं शताब्दी के मध्य और तेरहवीं शताब्दी के बीच लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया था। जिससे यह महत्वपूर्ण ज्ञान पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों को उपलब्ध हो पाया। सन् 1980 ईसवी में सोवियत संघ (जबकि उस समय बुख़ारा सोवियत संघ में था) ने कलात्मक चित्रों के साथ विभिन्न स्मारक टिकटों को जारी करके और सोवियत विद्वानों द्वारा मानव विज्ञान अनुसंधान के आधार पर इब्ने सीना को पर्याप्त सम्मान देकर उनके जन्म की हज़ारवीं वर्षगांठ मनाई थी। ■■

थकावट का कारण हाइपोकैल्सीमिया तो नहीं?





जैसा कि आप जानते हैं कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम की कमी की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट का अनुभव हो सकता है। कई बार कैल्शियम की कमी बच्चों में भी होती है, जिसकी वजह होती है उनको ठीक प्रकार से डाइट न मिल पाना। इससे शरीर के विकास में कई सारी बाधाएं आती हैं। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक तत्वों में से माना जाता है। यह हमारे शरीर की हड्डियों और दांतों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है।

कैल्शियम कम होने की वजह से दिन भर थकान भी महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ज़रूरत है आप अच्छी डाइट ले और कैल्शियम की पूर्ति करें।

कैल्शियम का सही मात्रा में सेवन न शारीरिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। यह ख़ून में थक्के बनने की समस्या से राहत पाने में भी मदद करता है और मांसपेशियों के सही निर्माण व कार्य के लिए भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।

कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चे-बुढ़ों के साथ-साथ बड़े भी प्रभावित होते हैं। कैल्शियम की कमी के कई कारण हो सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार का सेवन न करना, विटामिन डी की कमी व बढ़ती उम्र इसके मुख्य कारणों में से एक हैं। कैल्शियम की कमी से शरीर में कुछ विशेष लक्षण देखने को मिल सकते हैं।

अधिकतर महिलाओं में कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। कैल्शियम का सही मात्रा में सेवन करना महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे मांसपेशियां मज़बूत बनती है और शरीर की थकावट भी आसानी से दूर होती है। कई बार महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होने

पर इस तरह के लक्षण नज़र आते हैं, आइए हम आपको इस बात की जानकारी देते हैं की कैल्शियम की कमी की वजह से महिलाओं के शरीर में बदलाव नज़र आते हैं।

हड्डियों का कमज़ोर होना

जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है उसकी वजह से महिलाओं के शरीर की हड्डियां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है और कई बार तो उन्हें कट-कट की भी आवाज़ आने लगती है। हड्डियों में हमेशा कैल्शियम स्टोर होता है जो उन्हें मज़बूती देता है और हेल्दी भी बनाए रखता है। वहीं कैल्शियम की कमी की वजह से शरीर हड्डियों से कैल्शियम सोख लेता है जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो जाती है, और बैठने-उठने में परेशानी आने लगती है और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

नाख़ूनों का टूटना

महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से नाख़ून भी कमज़ोर हो जाते हैं और वह जल्दी-जल्दी टूटने लगते हैं। कई बार तो कैल्शियम की वजह से नाख़ून में ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसकी वजह से उनका रंग बदल सकता है। अगर आपको यह लक्षण नज़र आता है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इसके बारे में सलाह लेनी चाहिए।

दांतों में दर्द

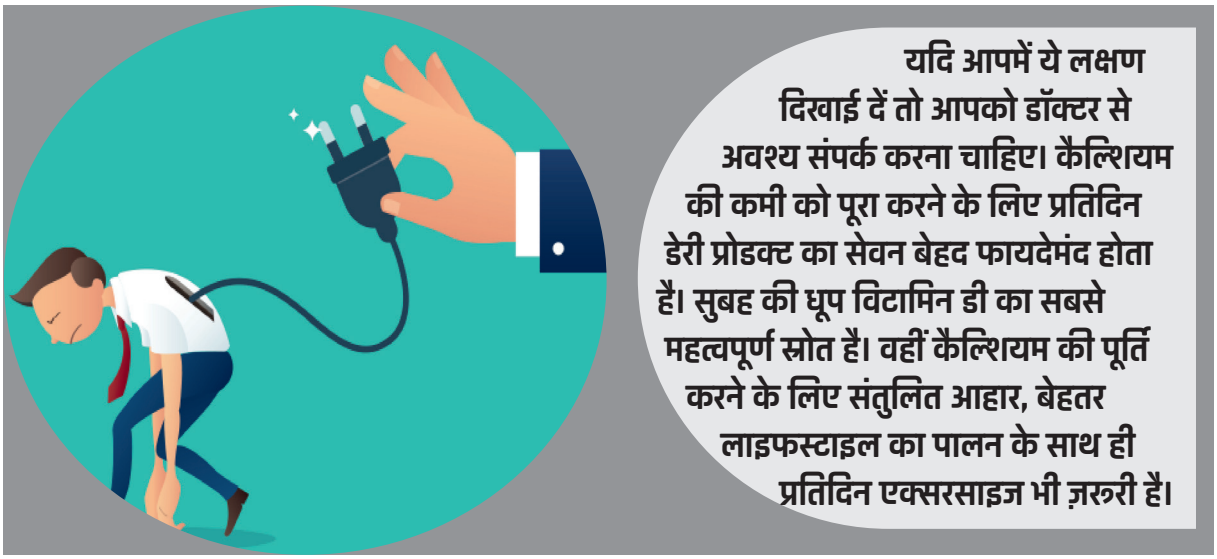
महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण दांतों में दर्द की शिकायत भी अक्सर रहती है, क्योंकि कैल्शियम सबसे ज़्यादा दांत और हड्डियों में ही जमा होता है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तब दांतों में दर्द की शिकायत अक्सर ही बढ़ने लगती है। इससे निजात पाने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

मांसपेशियों में ऐंठन

कई बार महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर मांसपेशियों में भी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है और जब उसमें कमी आती है तो हड्डियों में दर्द और ऐंठन का अनुभव होने लगता है। कई बार शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने पर भी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है।

कमज़ोरी महसूस होना

महिलाओं के शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण कमज़ोरी का अनुभव होने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कम होने से महिलाओं को अधिक भूख लगती है और कई बार उनकी याद्दाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। महिलाओं के शरीर में कैल्शियम कम होने की वजह से दिन भर उन्हें थकान भी महसूस होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो ज़रूरत है आप अच्छी डाइट लें और कैल्शियम की पूर्ति करें।



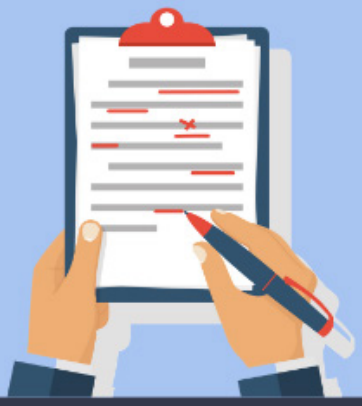
कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए प्रतिदिन डेरी प्रोडक्ट का सेवन बेहद फ़ायदेमंद होता है। सुबह की धूप विटामिन-डी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए संतुलित आहार, बेहतर लाइफस्टाइल का पालन के साथ ही प्रतिदिन एक्सरसाइज भी ज़रूरी है।

शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर उपरोक्त लक्षण नज़र आते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर से अवश्य संपर्क करना चाहिए। ■■

कॉपी एडिटिंग में संवारे भविष्य

करियर

संपादन प्रभाग



> *भाषा पर अच्छी पकड़, उत्कृष्ट लेखन और भाषा कौशल कॉपी एडिटिंग के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। अच्छी एडिटिंग स्किल के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान और वाक्य-विन्यास की गहरी समझ होनी चाहिए।*

वे लोग जिन्हें किताबें पढ़ना और लिखना पसंद होता है और जो बहुत ध्यान से किताबों को पढ़ते हैं, उनके लिए एडिटर की जॉब बेस्ट है। वास्तव में एक कॉपी एडिटर यह देखता है कि किसी लेख में व्याकरण, वर्तनी, गुणवत्ता आदि का ध्यान रखता है। वास्तव में एक कॉपी एडिटर किसी भी लिखित सामग्री के लिए सेंसर बोर्ड का काम करता है जो कि किसी भी लेख को प्रकाशित होने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि यह लेख पढ़ने लायक़ है भी या नहीं।

कॉपी एडिटर कौन होते हैं?

एक कॉपी एडिटर एडिटिंग के समय इस बात का ध्यान रखता है कि किसी लेख में व्याकरण, वर्तनी, गुणवत्ता आदि की कोई ग़लती न हो। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक कॉपी एडिटर को लेखकों और प्रकाशकों की पूरी एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। एक कॉपी एडिटर किसी पब्लिकेशन हाउस के लिए काम कर सकता है या फिर वह चाहे तो एक फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकता है।

कॉपी एडिटर क्यों बनें?

कॉपी एडिटिंग एक क्रिएटिव काम है। अगर आप एक क्रिएटिव इन्सान हैं तो आपको ज़रूर कॉपी एडिटर बनना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आपको ज़रूर ही एक कॉपी एडिटर बनना चाहिए। अगर आप भाषा में दक्ष हैं और व्याकरण और वर्तनी जैसी चीज़ों पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप कॉपी एडिटिंग के क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा कॉपी एडिटिंग एक व्हाइट कॉलर जॉब है। इसमें करियर के रूप में आगे बढ़ने के बहुत मौक़े हैं। इस जॉब प्रोफ़ाइल में वेतन भी अच्छा मिलता है।

कॉपी एडिटर बनने के लिए योग्यता

कॉपी एडिटर बनने के लिए आपके अंदर निम्न योग्यताओं का होना ज़रूरी है-

भाषा पर अच्छी पकड़, उत्कृष्ट लेखन और भाषा कौशल कॉपी एडिटिंग के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। अच्छी एडिटिंग स्किल के

लिए आपको व्याकरण का ज्ञान और वाक्य-विन्यास की गहरी समझ होनी चाहिए।

रचनात्मकता : संपादकों को जिज्ञासु, रचनात्मक और विविध विषयों से परिचित होने की आवश्यकता है।

उचित निर्णय : ग़ैर-काल्पनिक सामग्री के लिए, संपादकों को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या उनके पास कहने के लिए ऐसा कुछ है जो पाठक को जोड़ सके।

विवरण उन्मुख : कॉपी एडिटर का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लिखित कार्य त्रुटि मुक्त है।

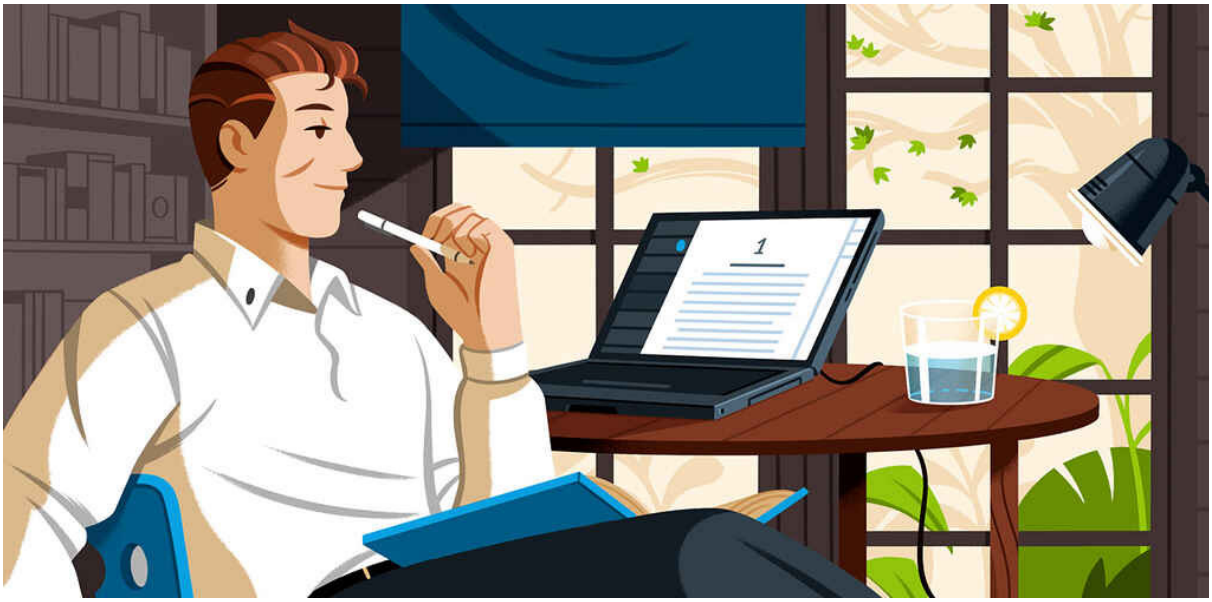
औपचारिक शैक्षणिक योग्यता का होना ज़रूरी नहीं है। हालांकि, कुछ एजेंसियां और क्लाइंट ऐसे उम्मीदवारों को काम पर रखने पर ज़ोर देते हैं, जिन्होंने कम से कम बैचलर्स डिग्री पूरी कर ली हो। चूंकि कॉपी राइटिंग एक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है, नियोक्ता ऐसे उम्मीदवारों को काम पर रखना पसंद करते हैं जिन्होंने मार्केटिंग, जर्नलिज़्म, जनसंचार या साहित्य (mass communication or literature) में प्रोफ़ेशनल कोर्स पूरा किया है।

कॉपीराइटिंग की मूल बातें समझें

आप नौकरियों के लिए आवेदन करने से पहले कॉपीराइटिंग में शामिल निर्धारित कुछ मानकों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विशिष्ट उद्देश्यों के लिए रीडिंग कंटेंट बनाते हैं। इसे प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होने के लिए, आप अपने कौशल को विकसित कीजिए। अपनी त्रुटियों को खोजकर उनमें सुधार कीजिए।

अपनी रुचियों को पहचानें

एक कॉपीराइटर के रूप में, आपके पास विज्ञापन और उत्पाद विवरण (Product Details) से लेकर शैक्षणिक पाठ और तकनीकी दस्तावेज़ों तक विभिन्न प्रकार के कंटेंट लिखने का विकल्प होता है। यह जानना महत्वपूर्ण



कम्युनिकेशन स्किल : अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एडिटर्स को लेखकों के साथ बातचीत करने में सहायता करती है।

राइटिंग स्किल : कॉपी एडिटर को स्पष्ट और उचित तर्क के साथ लिखना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामग्री में सही विराम चिह्न, व्याकरण और वाक्य-विन्यास शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता

कॉपी राइटर बनने के लिए किसी

कार्यप्रवाहों (workflows) को सीखने पर विचार ज़रूर करें। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको मानव मनोविज्ञान और अपने पाठकों की ज़रूरतों की अच्छी समझ होनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत लेखन शैली और रचनात्मकता को शामिल करते हुए, आपको ग्राहक के निर्देशों और आवश्यकताओं को अत्यधिक प्राथमिकता देनी चाहिए।

अपने कौशल का विकास करें

कॉपीराइटर अपने ग्राहकों द्वारा

है कि आप किस प्रकार के लेखन में रुचि रखते हैं। यह स्टेप आपको उपयुक्त लेखन नमूने और एक प्रभावी पोर्टफोलियो तैयार करने में मदद कर सकता है।

एक पोर्टफोलियो बनाएं

अधिकांश नियोक्ता यह मूल्यांकन करने के लिए आपके काम के सैंपल्स देखना चाहते हैं कि क्या आप इस जॉब रोल के लिए उपयुक्त हो सकते हैं या नहीं। एक बार जब आप अपनी लेखन रुचि की पहचान कर लेते हैं, तो कुछ

कॉपी एडिटिंग एक क्रिएटिव काम है। अगर आप एक क्रिएटिव इन्सान हैं तो आपको ज़रूर कॉपी एडिटर बनना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आपको ज़रूर ही एक कॉपी एडिटर बनना चाहिए। अगर आप भाषा में दक्ष हैं और व्याकरण और वर्तनी जैसी चीज़ों पर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप कॉपी एडिटिंग के क्षेत्र में अच्छा करियर बना सकते हैं।



राइटिंग सैंपल्स तैयार करें जो उस विशेष डोमेन में आपकी विशेषज्ञता को उजागर करते हैं। संभावित नियोक्ताओं और ग्राहकों को प्रस्तुत करने के लिए अपने राइटिंग सैंपल्स को एक पोर्टफोलियो के रूप में इकट्ठा करें।

यदि आप कॉपीराइटिंग के भीतर कई डोमेन/उद्योगों में रुचि रखते हैं, तो आप अपने वर्क सैंपल्स को वर्गीकृत करने के लिए अलग-अलग पोर्टफोलियो बनाने पर विचार कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

कॉपी एडिटिंग का कोर्स कराने वाले भारत के टॉप कॉलेज इस प्रकार हैं-

- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन
- व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन, अहमदाबाद
- इंस्टीट्यूट ऑफ़ मास कम्युनिकेशन फ़िल्म एंड टेलीविज़न स्टडीज़ (IMCFTS), कोलकाता
- सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ़ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे
- MIT आर्ट्स, डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, पुणे
- नेशनल डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद
- YMCI इंस्टीट्यूट फॉर मीडिया स्टडीज़ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली

कॉपी एडिटर कोर्स के लिए योग्यता

कॉपी एडिटर बनने के लिए कोई विशिष्ट योग्यता मानदंड नहीं हैं। प्रकाशन उद्योग में एडिटरों के लिए एकमात्र आवश्यक चीज़ भाषा पर अच्छी पकड़ है। कभी-कभी कुछ विश्वविद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए निबंध या इंटरव्यू की आवश्यकता होती है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को 12 साल की बेसिक एजुकेशन पूरी करनी होगी। 12वीं (किसी भी स्ट्रीम) पास करना आवश्यक है।

इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। छात्र, राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा जैसे IPU CET, DUET, SET, MET आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को परीक्षा ऑनलाइन या ऑफ़लाइन मोड के माध्यम से देनी होगी।

प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों का विश्लेषण किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों की एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।

कुछ कॉलेज ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इंटरव्यू के ज़रिए भी एडमिशन प्रदान करते हैं।

रोज़गार के अवसर

कॉपी एडिटर पब्लिकेशन हाउस, एड एजेंसी, मीडिया एजेंसी आदि संस्थानों में काम करते हैं। एक कॉपी एडिटर मुख्य रूप से साहित्य, पत्रकारिता और एडवरटाइज़िंग एजेंसी से जुड़ा होता है। एडिटिंग का तात्पर्य मूल लेखन सामग्री को बदलने से नहीं है, बल्कि यह उसमें सुधार करके उसे और बेहतर बनाती है। ■■

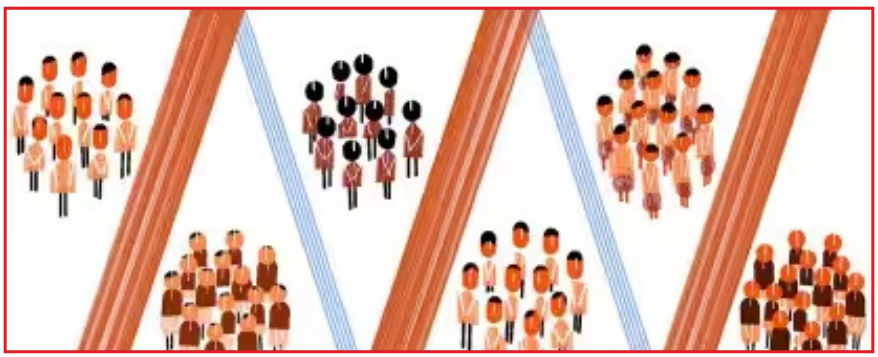
ओबीसी-मुस्लिम महिलाओं की उपेक्षा क्यों?



भारत के राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक को मंज़ूरी दे दी है। नया' नारी-शक्ति वंदन अधिनियम-2023'' लोकसभा और राज्य विधान सभाओं दोनों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करता है। प्रस्तावित आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही कार्यान्वित होगा। यानी बिल का फ़ायदा 2029 के बाद ही मिल सकेगा।

यह अधिनियम राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं करता है मज़बूत लोकतंत्र के लिए, सभी समूहों और वर्गों को सत्ता-साझाकरण में प्रतिनिधित्व मिलना महत्वपूर्ण है। आज़ादी मिलने के 75 साल बाद भी, संसद और हमारी राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी निराशाजनक है। उनकी संख्या को निश्चित सीमा तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए यह नया क़ानून इस दिशा में एक अच्छा क़दम है। इसे काफी पहले आ जाना चाहिए था। तथापि, यह क़ानून ओबीसी-मुस्लिम महिलाओं को बाहर करके भारत जैसे विशाल देश में गंभीर सामाजिक असमानताओं को संबोधित नहीं करता है। इसमें एससी और एसटी की महिलाएं शामिल हैं, लेकिन ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को नज़र अंदाज़ किया गया है।

आबादी और आरक्षण का अनुपात



बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट स्वागतयोग्य है। इससे समाज के हाशिये और वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण जातिगत पहचान के आधार पर प्रदान किया जाता है। जातिगत जनगणना नीति-निर्माताओं को बेहतर नीतियां डिजाइन करने और अधिक सटीक कल्याण कार्यक्रम तैयार करने में मदद करेगी।

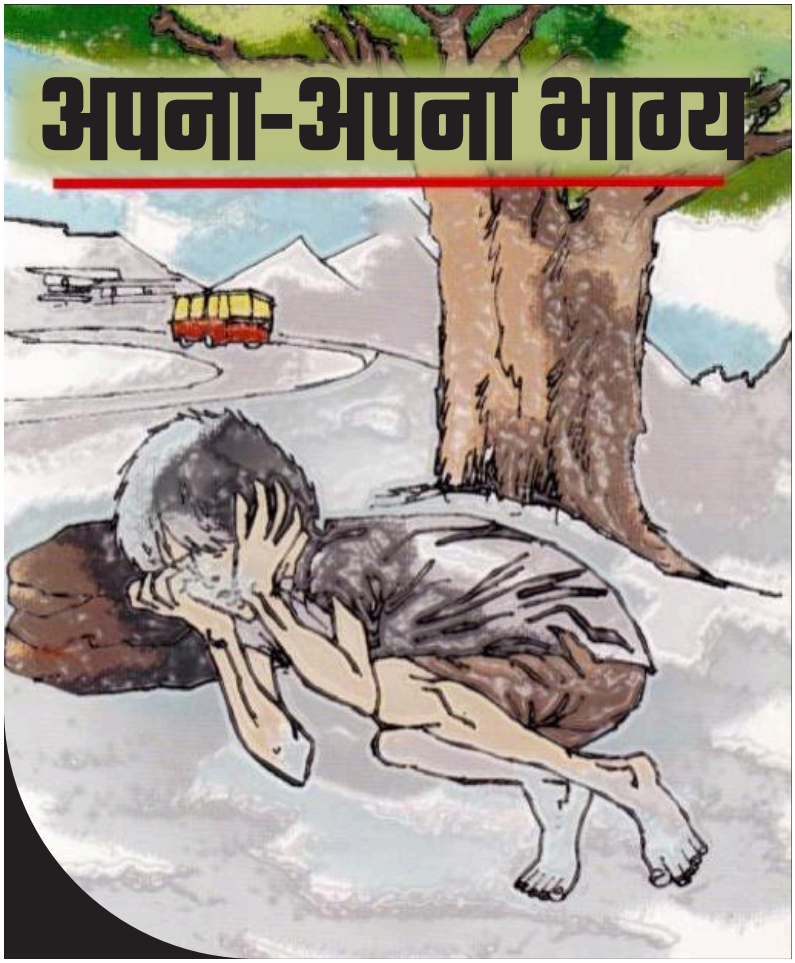
हालांकि ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जाति-आधारित जनगणना जातीय आधार पर राजनीतिक लामबंदी को और बढ़ावा देगी और समाज में विभाजन को बढ़ावा देगी, लेकिन न्याय और समानता का सवाल सर्वोपरि है, और राष्ट्रीय जाति जनगणना समय की ज़रूरत है। बिहार जाति सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि जनसंख्या का आकार और वर्तमान आरक्षण किस प्रकार अनुपातहीन हैं, जबकि लाभ और आरक्षण सामाजिक वर्ग की आबादी के आकार के अनुरूप होना चाहिए।

कहानी



जैनेन्द्र कुमार

अपना-अपना भाग्य



बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए।

नैनीताल की संध्या धीरे-धीरे उतर रही थी। रूई के रेशे-से भाप-से बादल हमारे सिरों को छू-छूकर बेरोक-टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंगकर कभी वे नीले दीखते, कभी सफ़ेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे।

पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेज़ों का एक प्रमोदगृह था, जहां सुहावना, रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल।

ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक-दो अंग्रेज़ यात्रियों को लेकर, इधर से उधर और उधर से इधर खेल रही थीं। कहीं कुछ अंग्रेज़ एक-एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर, अपनी सुई-सी शक्ल की डोंगियों को, मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले, सधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली-चिन्तन कर रहे थे। पीछे पोलो-लान में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे।

शोर, मार-पीट, गाली-गलौच भी जैसे खेल का ही अंश था। इस तमाम खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना, वे बालक अपना सारा मन, सारी देह, समग्र बल और समूची विधा लगाकर मानो ख़त्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिन्ता न थी, बीते का ख़्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शब्द की सम्पूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे।

सड़क पर से नर-नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका न ओर था न छोर। यह प्रवाह कहां जा रहा था, और कहां से आ रहा था, कौन बता सकता है? सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे। मानो मनुष्यता के नमूनों का बाज़ार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो।

अधिकार-गर्व में तने अंग्रेज़ उसमें थे और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं।

भागते, खेलते, हंसते, शरारत करते लाल-लाल अंग्रेज़ बच्चे थे और पीली-पीली आंखें फाड़े, पिता की उंगली पकड़कर चलते हुए अपने हिन्दुस्तानी नौनिहाल भी थे। अंग्रेज़ पिता थे, जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय

पितृदेव भी थे, जो बुज़ुर्गी को अपने चारों तरफ़ लपेटे धन-संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे।

अंग्रेज़ रमणियां थीं, जो धीरे-धीरे नहीं चलती थीं, तेज़ चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं और घोड़े के साथ ही साथ, ज़रा जी होते ही किसी-किसी हिन्दुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थीं। वे दो-दो, तीन-तीन, चार-चार की टोलियों में, नि:शंक, निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई, सड़क पर चली जा रही थीं।

उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी, सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई, साड़ी की कई तहों में सिमट-सिमटकर, लोक-लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी-सहमी धरती में आंख गाड़े, क़दम-क़दम बढ़ रही थीं।

इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच-खुरचकर बहा देने की इच्छा करने वाला अंग्रेजीदां पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज़ को देखकर आंखे बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़कर चलते थे- मानो भारतभूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल-कुचलकर चलने का उन्हें अधिकार मिला है।

घण्टे के घण्टे सरक गए। अंधकार गाढ़ा हो गया। बादल सफ़ेद होकर जम गए। मनुष्यों का वह तांता एक-एक कर क्षीण हो गया। अब इक्का-दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी-सी मालूम हुई। हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा। यह लाल बर्फ़ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था।

> ***चुपचाप बैठे तंग हो रहा था कि मित्र अचानक बोले-"देखो वह क्या है?" मैंने देखा-कुहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली-सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा-"होगा कोई।" तीन गज की दूरी से दीख पड़ा, एक लड़का सिर के बड़े-बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर। एक मैली-सी कमीज़ लटकाए है। पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहां जा रहा है- कहां जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है।***

सब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली की रोशनियां दीप-मालिका-सी जगमगा रही थीं। वह जगमगाहट दो मील तक फैले हुए प्रकृति के जलदर्पण पर प्रतिबिम्बित हो रही थी और दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ, वह जल प्रतिबिम्बों को सौगुना, हजारगुना करके, उनके प्रकाश को मानो एकत्र और पूंजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनाईयां तारों-सी जान पड़ती थीं।

हमारे देखते-देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गईं। जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले-काले भूत-से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दीखने लगी। मानो यह घनीभूत प्रलय था। सब कुछ इस घनी गहरी सफ़ेदी में दब गया। एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर-नीचे, चारों तरफ़ वह निर्भेद्य, सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी।

ऐसा घना कुहरा हमने कभी न देखा था। वह टप-टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन-चुप था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से, ग्यारह बार टन-टन हो उठा। जैसे कहीं दूर क़ब्र में से आवाज़ आ रही हो। हम अपने-अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था।

ताल के किनारे-किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर-नीचे हवा से कण-कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा, कोट पर एक कम्बल और होता तो अच्छा होता।

रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे

पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा, गरम बिस्तर में छिपकर सोना चाहता था पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी-इसका पता न था। और वह कैसी क्या होगी-इसका भी कुछ अन्दाज़ न था। उन्होंने कहा-"आओ, ज़रा यहां बैठे।"

हम उस चूते कुहरे में रात के ठीक एक बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ़-सी ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए।

पांच, दस, पन्द्रह मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा-"चलिए भी।"

"अरे ज़रा बैठो भी।"

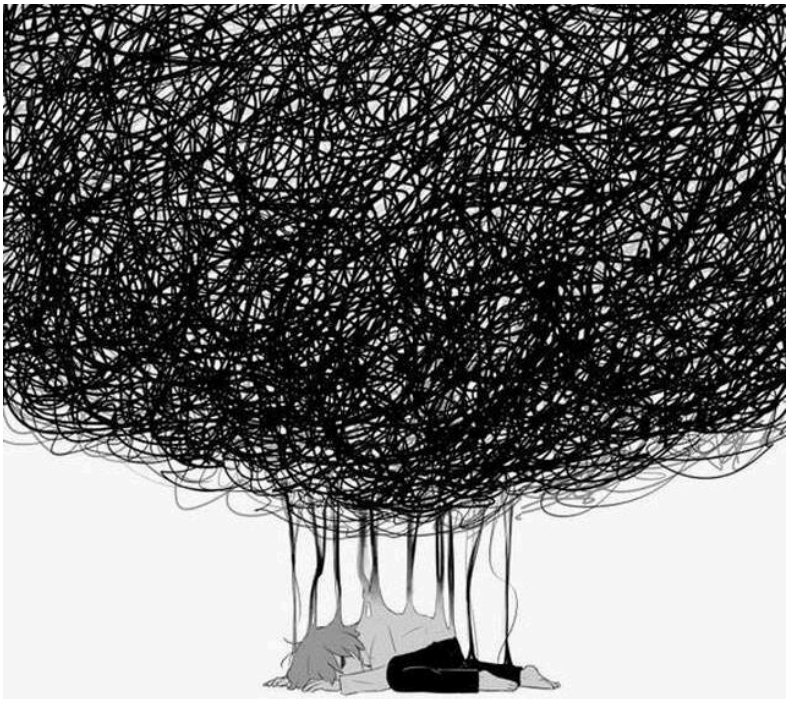
हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब इस ज़ोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा-लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था, और यह ज़रा बैठना ज़रा न था, बहुत था।

चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुट रहा था कि मित्र अचानक बोले-"देखो वह क्या है?"

मैंने देखा-कुहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली-सी सूरत हमारी तरफ़ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा-"होगा कोई।"

तीन गज़ की दूरी से दीख पड़ा, एक लड़का सिर के बड़े-बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिर। एक मैली-सी कमीज़ लटकाए है। पैर उसके न जाने कहां पड़ रहे हैं, और वह न जाने कहां जा रहा है-कहां जाना चाहता है। उसके क़दमों में जैसे कोई न अगला है, न पिछला है, न दायां है, न बायां है।

पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे-से प्रकाशवृत्त में देखा-कोई दस बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैल से काला



पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रुखी हैं। माथा जैसे अभी से झुर्रियां खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ़ फैला हुआ कुहरा, न सामने का तालाब और न बाक़ी दुनिया। वह बस, अपने विकट वर्तमान को देख रहा था।

मित्र ने आवाज़ दी-"ए!"

उसने जैसे जागकर देखा और पास आ गया।

"तू कहां जा रहा है?"

उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दीं।

"दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है?"

बालक मौन-मूक, फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा।

"कहां सोएगा?"

"यहीं कहीं।"

"कल कहां सोया था?"

"दुकान पर।"

"आज वहां क्यों नहीं?"

"नौकरी से हटा दिया।"

"क्या नौकरी थी?"

"सब काम। एक रुपया और जूठा खाना!"

"फिर नौकरी करेगा?"

"हां।"

"बाहर चलेगा?"

"हां।"

"आज क्या खाना खाया?"

"कुछ नहीं।"

"अब खाना मिलेगा?"

"नहीं मिलेगा!"

"यूं ही सो जाएगा?"

"हां।"

"कहां।"

"यहीं कहीं।"

"इन्हीं कपड़ों में?"

बालक फिर आंखों से बोलकर मूक खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थीं-यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न!

"मां-बाप हैं?"

"हैं।"

"कहां?"

"पन्द्रह कोस दूर गांव में।"

"तू भाग आया?"

"हां!"

"क्यों?"

"मेरे कई छोटे भाई-बहिन हैं-सो भाग आया वहां काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और मारता था, मां भूखी रहती थी और रोती थी। सो भाग आया। एक साथी और था। उसी गांव का। मुझ से बड़ा था। दोनों साथ यहां आए। वह अब नहीं हैं।

"कहां गया?"

"मर गया।"

"मर गया?"

"हां, साहब ने मारा, मर गया।"

"अच्छा, हमारे साथ चल।"

वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे।

"वकील साहब!"

वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतरकर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोज़-चढ़े पैरों में चप्पल थी। स्वर में हल्की-सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी।

"आ-हा फिर आप! कहिए।"

"आपको नौकर की ज़रूरत थी न? देखिए, यह लड़का है।"

"कहां से ले आए? इसे आप जानते हैं?"

"जानता हूं-यह बेईमान नहीं हो सकता।"

"अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे-बच्चे में गुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं। उठा लाए कहीं से-लो जी, यह नीकर लो।"

"मानिए तो, यह लड़का अच्छा निकलेगा।"

"आप भी...जी, बस ख़ूब है। ऐरे-गैरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह न जाने क्या-क्या लेकर चम्पत हो जाए!"

"आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं?'

"मानें क्या, खाक? आप भी...जी अच्छा मज़ाक़ करते हैं।...अच्छा, अब हम सोने जाते हैं।" और वे चार रुपये रोज़ के किराये वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए।

वकील साहब के चले जाने पर, होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला। पर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे।

"क्या है?"

"इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था", अंग्रेज़ी में मित्र ने कहा-"मगर, दस-दस के नोट हैं।"

"नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखें?"

सचमुच मेरे पाकिट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेज़ी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच-बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी।

मित्र ने पूछा-"तब?"

मैंने कहा-"दस का नोट ही दे दो।"

सकपकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे-"अरे यार! बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं हैं।"

"तो जाने दो, यह दया ही इस ज़माने में बहुत है।" मैंने कहा।

मित्र चुप रहे। जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले-"अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलना। वह 'होटल डी पब' जानता है? वहीं कल दस बजे मिलेगा?"

"हां, कुछ काम देंगे हुज़ूर?"

"हां, हां, ढूंढ़ दूंगा।"

"तो जाऊं?"

"हां," ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा-"कहां सोएगा?"

"यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्ठी में।"

बालक फिर उसी प्रेत-गति से एक ओर बढ़ा और कुहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर-सी लगती थी।

सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा-"भयानक शीत है। उसके पास कम, बहुत कम कपड़े...।"

"यह संसार है यार!" मैंने स्वार्थ की फ़िलासफ़ी सुनाई-"चलो, पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिन्ता करना।"

उदास होकर मित्र ने कहा-"स्वार्थ! जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो, या बेहयाई!"

दूसरे दिन नैनीताल-स्वर्ग के किसी काले ग़ुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा-वह बालक, निश्चित समय पर हमारे होटल 'डी पब' में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर ख़ुशी-ख़ुशी ख़त्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की ज़रूरत हमने न समझी।

मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात, एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे, पेड़ के नीचे, ठिठुरकर मर गया!

मरने के लिए उसे वही जगह, वही दस बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि ग़रीब के मुंह पर, छाती मुट्ठी और पैरों पर बरफ़ की हल्की-सी चादर चिपक गई थी। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफ़न का प्रबन्ध कर दिया था।

सब सुना और सोचा, अपना-अपना भाग्य! ■■

द्वितीय नास्तेः नहे ना नास्ते किंचन

(दूसरा नहीं है, नहीं है, तनिक भी नहीं है)

आमतौर पर यह समझा जाता है कि इस्लाम 1400 वर्ष पुराना धर्म है, और इसके 'प्रवर्तक' पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) हैं, लेकिन वास्तव में इस्लाम उतना ही पुराना जितना धरती पर स्वयं मानवजाति का इतिहास और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) इसके प्रवर्तक (.....) नहीं, बल्कि इसके आह्वाहक हैं। आपका काम उसी चिरकालीन (सनातन) धर्म की ओर, जो सत्य-धर्म के रूप में आदिकाल से 'एक' ही रहा है, लोगों को बुलाने, आमंत्रित करने और स्वीकार करने के आह्वान का था। आपका मिशन, इसी मौलिक मानव धर्म को इसकी पूर्णता के साथ स्थापित कर देना था ताकि मानवता के समक्ष इसका व्यावहारिक रूप साक्षात् रूप में आ जाए।

इस्लाम का इतिहास जानने का अस्ल माध्यम स्वयं इस्लाम का मूल ग्रंथ 'क़ुरआन' है। और क़ुरआन, इस्लाम का आरंभ प्रथम मनुष्य 'आदम' से होने का उल्लेख करता है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए क़ुरआन ने 'मुस्लिम' शब्द का प्रयोग हज़रत इबराहीम (अलैहि.) के लिए किया है जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक महान पैग़म्बर (सन्देष्टा) हुए थे। हज़रत आदम (अलैहि.) से शुरू होकर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) तक हज़ारों वर्षों पर फैले हुए इस्लामी इतिहास में असंख्य ईश-संदेष्टा ईश्वर के संदेश के साथ, ईश्वर द्वारा विभिन्न युगों और विभिन्न क़ौमों में

आख़िरी पन्ना



संपादन प्रभाग

"कहो वह ईश्वर है, यकता है, ईश्वर सबसे निस्पृह है और सब उसके मुहताज हैं, न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान है और कोई उसका समकक्ष नहीं है।" (क़ुरआन, 112:1-4)

नियुक्त किए जाते रहे। उनमें से 26 के नाम क़ुरआन में आए हैं और बाक़ी के नामों का वर्णन नहीं किया गया है।

इस अतिदीर्घ श्रृंखला में हर ईश संदेष्टा ने जिस सत्य-धर्म का आह्वान दिया वह 'इस्लाम' ही था, भले ही उसके नाम विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रहे हों। बोलियों और भाषाओं के विकास का इतिहास चूंकि क़ुरआन ने बयान नहीं किया है इसलिए 'इस्लाम' के नाम विभिन्न युगों में क्या-क्या थे, यह ज्ञात नहीं है।

इस्लामी इतिहास के आदिकालीन होने की वास्तविकता समझने के लिए स्वयं 'इस्लाम' को समझ लेना आवश्यक है। इस्लाम क्या है, यह कुछ शैलियों में क़ुरआन के माध्यम से हमारे सामने आता है, जैसे-

1. इस्लाम, अवधारणा के स्तर पर 'विशुद्ध एकेश्वरवाद' का नाम है। यहां 'विशुद्ध' से अभिप्राय है-ईश्वर, उसकी सत्ता व प्रभुत्व और उसके अधिकारों (जैसे उपास्य व पूज्य होने के अधिकार आदि) में किसी अन्य का साझी न होना। विश्व का...बल्कि पूरे ब्रह्मांड और अपार सृष्टि का यह महत्वपूर्ण व महानतम सत्य मानवजाति की उत्पत्ति से लेकर उसके हज़ारों वर्षों के इतिहास के दौरान अपरिवर्तनीय, स्थायी और शाश्वत रहा है।

2. इस्लाम शब्द का अर्थ 'शान्ति व सुरक्षा' और 'समर्पण' है। इस प्रकार इस्लामी परिभाषा में इस्लाम नाम है, ईश्वर के समक्ष, मनुष्यों का पूर्ण आत्म-समर्पण; और इस आत्म-समर्पण के द्वारा व्यक्ति, समाज तथा मानवजाति के द्वारा 'शान्ति व सुरक्षा' की उपलब्धि का। यह अवस्था आरंभ काल से तथा मानवता के इतिहास हज़ारों वर्ष लंबे सफ़र तक, हमेशा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रही है।

ईश्वर समस्त सृष्टि का अकेला स्रष्टा, पालनहार और शासक है। उसी ने पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, तारे और पृथ्वी पर रहने वाले सारे इंसानों एवं प्रत्येक जीव-जन्तुओं को पैदा किया। न उसे खाने-पीने और सोने की आवश्यकता पड़ती है, न उसके पास वंश है और न ही उसका कोई साझी।

क़ुरआन ईश्वर का इस प्रकार

परिचय कराता है-

''कहो वह अल्लाह है, यकता है, अल्लाह सबसे निस्पृह है और सब उसके मुहताज हैं, न उसकी कोई संतान है और न वह किसी की संतान है और कोई उसका समकक्ष नहीं है।''

(क़ुरआन, 112:1-4)

इस सूरा में ईश्वर के पांच मूल गुण बताए गए हैं-

(1) ईश्वर केवल एक है, (2) उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, (3) उसकी कोई संतान नहीं, (4) उसके माता-पिता नहीं एवं (5) उसका कोई साझीदार नहीं।

इसी प्रकार अथर्ववेद (13-4-20) में है-

''तमिदं निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एव''

किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है। उससे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं। ...वह अपने काम में किसी की सहायता नहीं लेता, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है।

(स्वामी दयानन्द सरस्वती,
दयानन्द ग्रंथमाला, पृ०-338)

और हिन्दू वेदांत का ब्रह्म सूत्र यह है-

एकम् ब्रह्म द्वितीय नास्तेः नहे ना नास्ते किंचन।

(ईश्वर एक ही है दूसरा नहीं है, नहीं है, तनिक भी नहीं है।)

और यजुर्वेद 32/3 में इस प्रकार है-

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदयश।

('जिस प्रभु का बड़ा प्रसिद्ध यश है उसकी कोई प्रतिमा नहीं'।)

धरती पर हर युग में ईश्वर के संदेष्टता आते रहे और लोग अपने स्वार्थ के लिए उनकी शिक्षाओं में परिवर्तन करते रहे, यहां तक कि जब सातवीं शताब्दी ईसवी में सामाजिक, भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति ने सारी दुनिया को एक इकाई बना दिया, तो ईश्वर ने हर देश में अलग-अलग संदेष्टा भेजने के क्रम को बन्द करते हुए अरब में महामान्य हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को भेजा और उन पर ईश्वरीय संहिता के रूप में क़ुरआन का अवतरण किया, यह ग्रंथ चौदह सौ शताब्दी पूर्व अवतरित हुआ था, लेकिन आज तक पूर्ण रूप में सुरक्षित है। एक ईसाई विद्वान सर विलियम म्यूर कहते हैं-

ईश्वर समस्त सृष्टि का अकेला स्रष्टा, पालनहार और शासक है। उसी ने पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, तारे और पृथ्वी पर रहने वाले सारे इंसानों एवं प्रत्येक जीव-जन्तुओं को पैदा किया। न उसे खाने-पीने और सोने की आवश्यकता पड़ती है, न उसके पास वंश है और न ही उसका कोई साझी। अतिदीर्घ श्रृंखला में हर ईश संदेष्टा ने जिस सत्यधर्म का आह्वान दिया वह 'इस्लाम' ही था, भले ही उसके नाम विभिन्न भाषाओं में विभिन्न रहे हों। बोलियों और भाषाओं के विकास का इतिहास चूंकि क़ुरआन ने बयान नहीं किया है इसलिए 'इस्लाम' के नाम विभिन्न युगों में क्या-क्या थे, यह ज्ञात नहीं है।

''संसार में क़ुरआन के अतिरिक्त कोई ऐसा ग्रंथ नहीं पाया जाता, जिसका अक्षर एवं शैली बारह शताब्दी गुज़रने के बावजूद पूर्ण रूप में सुरक्षित हो।''

(लाइफ़ ऑफ़ मुहम्मद)

आज अधिकांश लोगों में यह भ्रम प्रचलित है कि इस्लाम के संस्थापक हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) हैं। यद्यपि सत्य यह है कि हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) कोई नया धर्म लेकर नहीं, बल्कि उसी धर्म के अन्तिम संदेष्टा थे, जो धर्म ईश्वर ने समस्त मानवजाति के लिए चुना था। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) इस्लाम के संस्थापक नहीं, बल्कि उसके अंतिम संदेष्टा हैं। यही वह धर्म है जिसकी शिक्षा मनुष्य को दी गई थी। सबसे पहले मानव 'आदम' हैं जिनकी रचना ईश्वर ने बिना माता-पिता के की थी और उनके बाद उनकी पत्नी हव्वा को उत्पन्न किया था।

इन्हीं दोनों पति-पत्नी से मनुष्य के उत्पत्ति का आरंभ हुआ, जिनको कुछ लोग मनु और सतरोपा कहते हैं, तो कुछ लोग ऐडम और ईव। जिनका विस्तारपूर्वक उल्लेख पवित्र क़ुरआन (2/30-38) तथा भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व (खंड 1 अध्याय 4) और बाइबल (उत्पत्ति 2/6-25) और दूसरे अनेक ग्रंथों में किया गया है। ईश्वर ने हर युग में प्रत्येक समुदाय को उनकी अपनी ही भाषा में शिक्षा प्रदान किया, (सूरा इब्राहीम, 14:4)। उसी शिक्षा के अनुसार जीवन-यापन का नाम इस्लाम था, जिसका नाम प्रत्येक संदेष्टा अपनी-अपनी भाषा में रखते थे जैसे संस्कृत में नाम था 'सर्व समर्पण धर्म' जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है ''इस्लाम धर्म''।

मानव का धर्म आरंभ से एक ही रहा है, परन्तु लोगों ने अपने-अपने गुरुओं के नाम से अलग-अलग धर्म बना लिया और विभिन्न धर्मों में विभाजित हो गए। आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम अपने वास्तविक ईश्वर की ओर पलटें, जिसका संबंध किसी विशेष देश, जाति या वंश से नहीं, बल्कि वह सम्पूर्ण संसार का स्रष्टा, अन्नदाता और पालनकर्ता है। ■■

“तुममें जो बड़ाई वाले और सामर्थ्यवान हैं, वे नातेदारों, मुहताजों और अल्लाह की राह में घरबार छोड़ने वालों को देने से बाज़ रहने की क़सम न खा बैठें। उन्हें चाहिए कि क्षमा कर दें और उनसे दरगुज़र करें। क्या तुम यह नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें क्षमा करे? अल्लाह बहुत क्षमाशील, अत्यंत दयावान है।”

(कुरआन, 24:22)

with best compliment from

• Tabish Khan [Hyderabad]

KANTI Monthly, New Delhi
NOVEMBER 2023
Posted on 20-21 October 2023
Published on 18 October 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

कान्ति के वे सब्सक्राइबर

जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी की रक़म जमा नहीं की है,

बराय मेहरबानी

इस QR Code

के ज़रिये जल्द अदायगी करें।



नोट :

अदायगी के बाद

स्क्रीनशॉट

इस नम्बर पर

(9818799223)

ज़रूर भेजें।